Ok"k % 40(vad % 08 (vxLr % 2018(eY; % nl #Ik,

सीटू मजदूर

विशेषांक

5 सितम्बर 2018; ससंद के समक्ष

सीटू-अखिल भारतीय किसान सभा-अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन

मजदूर किसान संघर्ष रैली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विशाल हड़ताल

(रिपोर्ट पृ० 21)

ओखला, दक्षिण दिल्ली

नरेला, उत्तरी दिल्ली

मायापुरी, पश्चिम दिल्ली

सीटू-अखिल भारतीय किसान सभा-अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन

सीटू मजदूर

lhvkbVh;l dk e[ki=

अगस्त 2018

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे एस मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,

एम एल मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

5 flrEcj l?k"kZ jSyh lhVw urkvksa dk y[k 5

geyrk 5

riu lu 7

,l nojkSj; 11

, vkj flU/kq 17

m|kx o {ks= 19

jkT;ksa ls 21

miHkksDrk eY; lpdkd 26

सम्पादकीय

अत्याचारी राज को हराओ

5 सितम्बर की मजदूर किसान रैली को ऐतिहासिक बनाओ

lhVw etnwj dk vxLr 2018 dk vkSj 5 flrEcj dh lsUn ij gksus okyh etnwj fdlku jSyh ij dsfæ fo'k"kkd gSA bles bl jSyh ls tqM+s eq|ks] fn'kk vkSj ifj–'; rFkk jSyh ds mís'; dks ysdj lhVw ds jk"Vªh; urkvksa }kjk fy[ks x, ys[k gSA bues ekStwnk nkSj esa py jgs vkUnksyuksa ds fofo/k vk;kesksa vkSj fn'kkvksa dks ntZ fd;k x;k gSA

tujy dkSfly ds vkºoku dks vey esa ykrs gq, lhVw us fnYyh jSyh ds igys ebZ ls vxLr ds chp pkj eghus ds l?ku vkUnksyuksa ds vfHk;ku NsM+s A bues tu,drk tuvf/kdkj vkUnksyu ds vkºoku ij 23 ebZ dks nsk Hkj esa gq, iksy [kksy gYyk cksy çn'kZu(30 ebZ lhVw LFkkiuk fnol ij lsdYi lHkk,(Lok/khurk vkUnksyu ds ,frgkfld fnu vkxkeh 9 vxLr dks nsk ds 720 ftyksa esa gksus okyh fdlku lHkk&lhVw dh ls;ä tqy Hkjks dk;Zokgh(14&15 dh njfe;ku jkr esa tkxj.k djrs gq, turk dks jktuhfrd Lor=rk oksy Hkkjr esa jguk dk iqu:Lej.k djkuk 'kkfey gSA

vfHk;ku dh iwoZ rS;kfj;ksa esa gj Lrj ij dk;Zdrkvksa rFkk lHkkvksa dk vk;kstu] ifLrdkvksa vkSj ipkZ dk çdk'ku vkSj forj.k] etnwjksa&fdlkuksa&vkSj nsk dh turk dks çHkkfor djus oksa rF;ksa dk lxzg dj turk ds chp mu ij ppkZ ds fy, lkexzh ds :i esa miyC/k djkuk 'kkfey gSA

jSyh ds fy, fd;s tk jgs lkxBfud ç;Ruksa ds pkj y{; Li"V gSa(¼1½ jSyh vkSj vfHk;ku esa gj Lrj vkSj gj ;fu;u ds dk;Zdrkvksa dh vf/kdre lHko Hkkxhnkjh lqfuf'pr djkukA ¼2½ lhVw] fdlku lHkk vkSj [kfrgj etnwj ;fu;u ds chp gj Lrj ij utnhdre lkxBfud leUo; cukuk(¼3½ vfHk;ku ls tqM+s nLrkostksa dk vf/kdre ls[;k esa çdk'ku vkSj forj.k djuk ¼4½ vf/kdre ls[;k esa etnwjksa dh 5 flrEcj dh fnYyh jSyh esa Hkkxhnkjh djkuk vkSj bl rjg fdlh Hkh gkyr esa 2 yk[k ls de ugha ds tujy dkSfly ds vkºoku dks ijk djuk 'kkfey gSA

vkb;s] bu lkxBfud vkºokuksa dks ;FkkFkZ esa mrkjrs gq, jSyh dks dke;kc cuk,A etnwj vkUnksyu dks turk dh thou n'kkvksa vkSj mlds ,drk dh fgQktr djus dh jktuhfrd fn'kk esa vkxs c<+krs gq, vkSj,l,l&Hkktik ds neudkjh rFkk mRihM+d jkt dks ijkftr dj] nsk vkSj etnwj vkUnksyu ds Hkfo"; dks lqjf{kr djsA

5 सितम्बर रैली का संयुक्त आह्वान

सीटू - किसानसभा - खेतमजदूर यूनियन

fo"k;% 5 flrEcj 2018 dh etnj&fdlku l/k"k jyh

जैसा कि आप जानते है सीटू किसान सभा व खेतमजदूर यूनियन ने 5 सितम्बर, 2018 को संसद पर एक मजदूर किसान संघर्ष रैली आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह पहली बार है कि ऐसी संयुक्त रैली राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रही है।

इसके लिए प्रभावी अभियान व भारी लामबंदी को पक्का करने के लिए तीनों संगठनों के नेतृत्व की एक संयुक्त बैठक 13, जून, 2018 को बी टी रणदिवे भवन में हुई।

किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला, सीटू की अध्यक्ष हेमलता, खेतमजदूर यूनियन के अध्यक्ष एस थिरुनावक्कारासु, सीटू के उपाध्यक्ष जे एस मजुमदार किसान सभा के वित्त सचिव कृष्णा प्रसाद ने इस बैठक में भाग लिया।

बैठक में अभियान के लिए एक साझे प्रतीक चिन्ह (लोगो) तथा नारे पर सहमति बनी। यह लोगो यहाँ संलग्न किया जा रहा है इसका नारा होगा :

एकजुट हो! संघर्ष करो!

- कॉरपोरेट हितैषी, भूस्वामी हितैषी सरकारों के खिलाफ ।
- मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, राष्ट्र विरोधी नीतियो के खिलाफ!
- सभी मेहनतकशों का हित करने वाली नीतियों के लिए!

अभियान की मुख्य मांगें होंगी :

(i) मूल्य वृद्धि रोकोः सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्व भौम बनाओ : आवश्यक वस्तुओं में वायदा कारोबार को प्रतिबंधित करो

(ii) समुचित रोजगार के सष्जन के लिए ठोस कदम उठाओ

(iii) सभी मजदूरों के लिए कम से कम 18, 000 रूपये मासिक न्यूनतम वेतन घोषित करो

(iv) मजदूर विरोधी श्रम कानून संशोधनों को वापिस लो

(v) किसानों को स्वामीनाथन समिति के अनुरुप लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करो : तथा समय पर सार्वजनिक खरीद करो

(vi) गरीब किसानों व खेतमजदूरों के लिए कर्जमाफी लागू करो

(vii) खेतमजदूरों के लिए व्यापक केन्द्रीय कानून पास करो

(viii) मनरेगा को सभी ग्रामीण इलाकों में लागू करो तथा शहरी इलाको को भी शामिल करने के लिए एक्ट मे संशोधन करो

(ix) सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य व शिक्षा सुनिश्चित करो

(x) सभी को समाजिक सुरक्षा प्रदान करो

(xi) रोजगार का ठेकाकरण बन्द करो तथा समान काम के लिए महिला व पुरुष को समान वेतन दो

(xii) पुनर्वितरण वाले भूमिसुधार लागू करो

(xiii) जबरन भूमि अधिग्रहण बन्द करो

(xiv) प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों को राहत व पुर्नवास प्रदान करो; नवउदारवादी नीतियों को पलटो

तथा सरकार द्वारा अमल में लायी जा रही जन विरोधी नीतियों से जोडते हुए अलग अलग राज्यों व सेक्टरों मे स्थानीय मुद्दों को भी अभियान में उठाया जा सकेगा

इन मुद्दों पर स्वतंत्र अभियानों के साथ–साथ संयुक्त अभियान भी होंगे

सभी राज्य समितियों से अनुरोध है कि वे राज्य स्तर पर जल्द से जल्द संयुक्त बैठके करें तथा अभियान के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समितियां गठित करें

इसके लिए अखिल भारतीय केन्द्र से एक संयुक्त परचे का मसविदा भेजा जायेगा जिसे स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कर व्यापक पैमाने पर वितरित किया जायेगा संयुक्त पोस्टर का डिजाईन भी अखिल भारतीय केन्द्र से भेजा जायेगा जिसे राज्य व निचले स्तर की कमेटियों द्वारा छपवाया जाना चाहिये।

5 सितम्बर की मजदूर–किसान रैली की ओर

हेमलता

v/;{k] lhVw

देश के लिए धन सम्पदा का निर्माण करने वाले मेहनतकश जनता के तीन तबके – मजदूर, किसान और खेत मजदूर, अपनी साझा माँगों के लिए देश की राजधानी में आजादी के बाद पहली बार एक साथ रैली करने जा रहे हैं।

वे संगठित क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों और किसानों, खेत मजदूरों एवं योजनाकर्मियों आदि विभिन्न तबकों की विशिष्ट माँगों को उठाएंगे। इसके अलावा, उस दिन संसद पर रैली करने वाले लाखों मजदूर, किसान और खेत मजदूर, पिछले अढ़ाई दशकों से केंद्र की लगातार सरकारों चाहे वो भाजपानीत हों, कांग्रेस या विभिन्न गैर वामपंथी दलों के गठबंधन नीत हो, द्वारा लागू की जा रही नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। वे उस नवउदारवादी नीति व्यवस्था को उलटने की माँग करेंगे जो कुछ एक बड़े देशी–विदेशी कॉरपोरेटस् और भूस्वामी तबकों को भारी छूट, लाभ और सुविधाऐं प्रदान करते हुए आम जनता पर भारी बोझ डाल रहे हैं। मुनाफाखोर कॉरपोरेटस् की हवस के लिए, राष्ट्रीय हितों, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और संप्रभुता का त्याग करने वाली नवउदारवादी व्यवस्था के खिलाफ और आम जनता के हित वाली वैकल्पिक नीतियों की माँग करेंगे।

नवउदारवादी नीति व्यवस्था के प्रभाव के खिलाफ असंतोष जनता के सभी कामकाजी तबकों में बढ़ रहा है। यह 2015 और 2016 में संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन के आह्वान पर देशव्यापी आम हड़तालों में मजदूर वर्ग की बड़ी भागीदारी में दिखाई दिया था। यह नवंबर 2017 में संसद के पास तीन दिन के संयुक्त ट्रेड यूनियन 'महापड़ाव' में पूरे देश के सभी क्षेत्रों के मजदूरों की भारी संख्या में हुई भागीदारी में दिखाई दिया था। यह आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशा, मिड डे मील मजदूरों, सफाई कर्मचारियों, सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में औद्योगिक मजदूरों के असंख्य क्षेत्रीय संघर्षों में भी दिखाई देता है। इन संघर्षों में लाखों मजदूर भाग ले रहे हैं। वे अपनी कुछ माँगों को प्राप्त करने में भी सफल हुए हैं और अपने अधिकारों और काम के हालातों की रक्षा में कुछ सीमा तक सक्षम हुए हैं।

लेकिन, ये संघर्ष अभी भी सरकार की नीतियों की दिशा बदलने में सक्षम नहीं हैं। उनके दिन–प्रतिदिन के मुद्दों और माँगों और सरकारों द्वारा अपनायी जा रही नीतियों के बीच की कड़ी को, उन संघर्षों में शामिल होने वाले तबकों द्वारा समझा नहीं गया है। संघर्षों में पूरी तरह मर्जी से भाग लेने के बावजूद भी, चुनाव के दौरान वे उन्हीं पार्टियों को वोट देते हैं जो सत्ता में आने पर उन्हीं नीतियों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार, सरकारें तो बदलती हैं, सरकारों का नेतृत्व करने वाली पार्टियाँ बदल जाती हैं, लेकिन मजदूरों को अपनी परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं मिलता है। वे उन्ही माँग के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए मजबूर किए जाते हैं।

इस प्रक्रिया में कांग्रेसनीत यूपीए सरकार द्वारा लागू नवउदारवादी नीतियों के असर के खिलाफ जनता के असंतोष का इस्तेमाल करके, भाजपानीत मोदी सरकार सत्ता में आ गयी। चुनाव पूर्व वादे के अनुसार, जनता की परिस्थितियों में सुधार के लिए कदम उठाने के बजाय, उसने भी उन्हीं नीतियों के कार्यान्वयन में तेजी ला दी है। इसने मजदूरों के कड़ी मशक्कत से जीते हुए अधिकारों पर हमले को तेज कर दिया है। बड़े कॉरपोरेटस के हितों की सेवा और मजदूरों को आभासी गुलामों में बदलने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। कृषि संकट और किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है। खेत मजदूरों को खेती में एक वर्ष के दौरान एक महीने का भी काम नहीं मिलता है। मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या काफी कम हो गई है। प्रवासन बढ़ गया है। मोदी के मसीहा होने के बारे में जनता के बीच भ्रम कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, रोजगार उत्पादन, 'अच्छे दिन' आने वाले हैं आदि सब तेजी से गायब हो रहे हैं। न केवल मजदूरों के बल्कि, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों के संघर्षों में यह स्पष्ट है। यह राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हुए चुनावों में भाजपा को लगे झटकों में भी स्पष्ट है।

जनता के बीच इस असंतोष और गुस्से को, जनता के बड़े विशाल बहुमत की कीमत पर कुछ एक बड़े देशी–विदेशी कॉरपारेटस् के मुनाफों में भारी वृद्धि पर केन्द्रित नीतियों के खिलाफ संघर्ष में बदलने की आवश्यकता है। इन नीतियों के लिए प्रतिबद्ध राजनीतिक दलों, इन नीतियों से जुड़ी राजनीति का खुलासा करना आवश्यक है। संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच, मेहनतकश जनता के सभी तबकों के साझा मंच के द्वारा संयुक्त संघर्षों को मजबूत करते हुए, मेहनतकश जनता के बीच इसके बारे में जागरूकता बनाना, अपनी तकलीफों के वास्तविक कारणों की पहचान करने और उनके सच्चे दोस्तों को पहचानने के बारे में चेतना जागृत करना भी आवश्यक है।

इस उद्देश्य के साथ, मार्च 2018 में कोझिकोड में सम्पन्न हुई सीटू जनरल काउंसिल ने मजदूर वर्ग के बीच एक व्यापक अभियान चलाकर, 5 सितंबर 2018 को संसद के पास एक विशाल रैली करने का फैसला किया। इसने अपने नारे 'पहुँच से बाहर वालों तक पहुँच बनाने' मुद्दों को नीतियों से जोड़ने और नीतियों के पीछे की राजनीति का पर्दाफाश को अभ्यास में लाने के लिए, पाँच महीने का लंबा तथा विस्तारित कार्यक्रम तय किया। अखिल भारतीय किसान सभा (ए.आई.के.एस.) और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन (ए.आई.ए.डब्ल्यू.यू.) ने भी राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली रैली में शामिल होने का फैसला किया है। सीटू ने भी 9 अगस्त को ए.आई.के.एस. द्वारा आहूत जिला स्तर के 'जेल भरो' में शामिल होने का फैसला किया है। इसके अलावा सीटू ने 14 अगस्त की रात को देश भर के हजारों केंद्रों पर हमारे पूर्वजों के दृष्टिकोण और बलिदानों को याद रखने के लिए रात भर के 'सामूहिक जागरण' का पालन करने का फैसला किया है, लाखों मजदूर, किसान, आदिवासियों और सभी प्रगतिशील लोगों को आजादी के संघर्ष और उस दृष्टि को प्राप्त करने के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध होना।

जनरल काउंसिल की बैठक के बाद की इस अवधि के दौरान बहुत व्यस्त तैयारियाँ चल रही हैं, जिनमें पूरा संगठन शामिल है। सीटू केंद्र ने अभियान के लिए विभिन्न मुद्दों पर एक पुस्तिका, 6 परचे और 24 'चर्चा के बिन्दु' (टॉकिंग पॉइन्टस्) तैयार किए हैं। कुछ और अभियान सामग्री तैयार हो रही है। इन सभी का अनुवाद करके सभी राज्यों में सीटू के नेतृत्वकारी साथियों, कार्यकर्ताओं और मजदूरों के बीच वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य और कई जिला कमेटियाँ, विशिष्ट स्थानीय मुद्दों पर पुस्तिकाएं, पोस्टर और अन्य अभियान सामग्री तैयार कर रही हैं।

संगठन को मजबूत करने के साथ–साथ अभियान की ठोस योजना बनाने के लिए ठोस उपायों पर चर्चा करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशालाएं अधिकांश राज्यों में पूरी की गई हैं। कुछ अन्य में वे अगस्त के पहले सप्ताह तक पूरी हो जाऐंगी। कई राज्यों में, जिला स्तर की कार्यशालाएं, क्षेत्रीय कार्यशालाओं और यूनियन स्तर की कार्य समिति और आम सभाऐं भी पूरी हो गयी हैं। जेल भरो कार्यक्रमों और इसके लिए संयुक्त अभियान की योजना बनाने के लिए सीटू, ए.आई.के.एस. और ए.आई.ए.डब्ल्यू.यू. के राज्य और जिला स्तर के नेतृत्व की संयुक्त बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

जून में सीटू के सचिव मण्डल की विस्तारित मीटिंग में जनरल काउंसिल में तय किए गए कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। पुनः आकलन करने के लिए सीटू सचिव मण्डल को 2 अगस्त को फिर से मिलना है।

पूरे देश की रिपोर्टों के मुताबिक, अभियान सभी क्षेत्रों के मजदूरों की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रियाऐं हासिल कर रहा है, यहाँ तक कि संदेश जमीनी स्तर तक पहुँच गया है।

5 सितंबर को 'मजदूर किसान संघर्ष रैली' निश्चित रूप से हमारे देश की कामकाजी जनता के संघर्ष के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना होगी।

आने वाले दिनो में जनता और देश के साथ अपराध के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की ओर

5 सितम्बर को संसद पर मजदूर किसान संघर्ष रैली

तपन सेन

egklfpo] lhVw

कोझिकोड में 25–28 मार्च 2018 को आयोजित **सीटू जनरल काउंसिल** की बैठक में, चार दिन लम्बे गहन विचार–विमर्श के बाद मई 2018 से सीटू यूनियनों और उसके बिरादराना एवं सहयोगी महासंघों द्वारा आयोजित किए जाने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला को पारित किया गया, और अंत में बड़े पैमाने पर 5 सितंबर 2018 को **''संसद पर मजदूर किसान संघर्ष रैली''** आयोजित होनी है। सीटू जनरल काउंसिल ने 5 सितंबर 2018 को मजदूर किसान संघर्ष रैली में शामिल होने के लिए सहमत होने पर, ऑल इण्डिया किसान सभा और ऑल इण्डिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन के प्रति ईमानदारी से कृतज्ञता व्यक्त की है। कार्यक्रम इस प्रकार हैं 1) 23 मई 2018 को मजदूरों, किसानों, खेत मजदूरों, छात्रों, युवाओं और महिला संगठनों और अन्य वामपंथी सहयोगियों के संयुक्त मंच जन एकता जन अधिकार आन्दोलन के आह्वान पर अन्य बिरादराना वर्ग एवं जन संगठनों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर देशव्यापी आंदोलन, 2) 30 मई 2018 को देशव्यापी स्तर पर कार्यस्थलों पर लामबन्दी करके सीटू स्थापना दिवस को व्यापक पैमाने पर मनाना और सीटू के संवैधानिक लक्ष्य के अनुसार बदलाव के लिए पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लगातार संघर्ष करने की प्रतिज्ञा लेना जिसमें राजनीतिक, विचारधारात्मक और संगठनात्मक रूप से उस दिशा में तैयार होने के प्रति वचनबद्ध होना है, 3) 9 अगस्त 2018 को अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा आयोजित जिला स्तर के ''जेल भरो कार्यक्रम'' में और ए.आई.के.एस. द्वारा उठायी गयी माँगों के समर्थन में तथा मजदूरों की माँगों को उजागर करने के लिए बड़े पैमाने पर शामिल हों, 4) देश के संविधान में स्थापित भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक चरित्र की रक्षा और स्वतंत्र देश में, सभी के बेहतर जीवन की जनता की आकांक्षा को उजागर करने के लिए स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 2018 को पूरे देश में ''सामूहिक रात्रि भर के जागरण'' के रूप में आयोजित आंदोलन में जितना संभव हो उतनी बड़ी लामबन्दी करना। और कार्यक्रमों की यह श्रृंखला 5 सितंबर 2018 को बड़े पैमाने पर मजदूर किसान संघर्ष रैली और संसद की ओर मार्च में एकजुट होगी।

उपरोक्त कार्यक्रम के साथ–साथ, सीटू जनरल काउंसिल ने प्राथमिक इकाई स्तर तक सीटू के अंदर संगठनात्मक स्थिति पर एक गंभीर आत्म विश्लेषण भी किया है। और आत्मालोचनात्मक तरीके से स्वयं की गंभीर कमजोरियों और अभावों की पहचान की है तथा संगठनात्मक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने वाले संगठन पर एक दस्तावेज को अंतिम रूप दिया है। संपूर्ण सीटू अपने संवैधानिक लक्ष्य के संदर्भ में और देश में मजदूर वर्ग की परिस्थिति और मजदूर वर्ग के आंदोलन के समक्ष, अपने वर्ग सहयोगियों के साथ मिलकर संयुक्त संघर्ष करना तात्कालिक काम है। वास्तव में सीटू जनरल काउंसिल द्वारा निर्धारित आंदोलन और लामबन्दी के विस्तृत कार्यक्रमों की श्रृंखला में इसकी तैयारी की संगठनात्मक कार्रवाही और व्यापक अभियान का हर विवरण शामिल है, को पूरे संगठन और आंदोलन की महत्वपूर्ण परीक्षा के तौर पर माना गया है।

छपने के लिए जाने से पहले, देश भर में 23 मई 2018 और 30 मई 2018 के दौरान कार्यक्रमों के सफल आयोजनों के बारे में रिपोर्ट, सीटू को सभी राज्य कमेटियों और फेडरेशनों से प्राप्त हुई है। 9 अगस्त, 14 अगस्त और 5 सितंबर 2018 के आगामी कार्यक्रमों के लिए राज्य कमेटियों, फेडरेशनों और संबद्ध यूनियनों द्वारा किए जा रहे व्यापक अभियान को सभी कामकाजी लोगों के व्यापक तबकों तक पहुंचने के उद्देष्य से सक्रिय संगठनात्मक पहल करने की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है। देश के कई हिस्सों में मजदूर और किसान संगठनों द्वारा संयुक्त अभियानों के द्वारा मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों के बीच बहुत उत्साह पैदा करने वाली रिपोर्ट भी मिली हैं।

सीटू पत्रिकाओं वर्किंग क्लास और सीटू मजदूर दोनों में अगस्त 2018 में जारी किए जा रहे ये मुद्दे, संसद के समक्ष 5 सितंबर 2018 रैली से पहले अंतिम हैं। चल रहे देशव्यापी अभियान के बीच, इस लेखन का उद्देश्य अभियान के अंतिम दौर में कुछ ठोस मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है।

चल रहे आंदोलन और अभियान कार्यक्रमों के मुद्दों का मकसद, केन्द्र सरकार की जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर में मेहनतकशों को आक्रामक मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इन नीतियों के द्वारा सरकार देशी–विदेशी कॉरपोरेटस् और भू–स्वामी तबकों के हितों की खातिर पूरे देश और उसकी जनता को बर्बादी की ओर धकेल रही है। चल रहे आंदोलन में मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों की माँगों को पिछले अंकों में और कई पैम्फलेटों, पुस्तिकाओं और अन्य अभियान सामग्रियों में पहले ही विस्तार से बताया जा चुका है। उन सभी माँगों का कुल मिलाकर निचोड़, एक जन समर्थक वैकल्पिक नीति के लिए दृढ़ता पूर्वक आग्रह करना है जिसके लिए नवउदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था के वर्तमान शासन को, जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नीतियों के कदमों से उलट दिशा में पीछे हटना और पुनरावृत्ति न करना है। अगर वे खुद पीछे हट जाते हैं, जो वे इतनी आसानी से नहीं करेंगे, तो हमें इस तरह की वापसी के लिए जोर देना होगा और बड़े जुझारु संघर्ष के माध्यम से ऐसा करना होगा।

हमारे आंदोलन, अभियान और लामबन्दी व 5 सितंबर के संसद मार्च के वर्तमान दौर का असली मकसद • इस तरह के बड़े मुकाबले के लिए मेहनतकशों तैयार करना है, उनकी चेतना को विकसित करके उनके असली दुश्मन को पहचानने और शोषणकारी और विनाशकारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए प्रशिक्षित करना है। • हमारे आंदोलन और अभियान को उन सभी तक ले जाना है जो हमारी पहुँच से बाहर हैं ताकि उनके गुस्से को साकार करके, उनकी तकलीफों और वंचित होने को नवउदारवादी नीति की व्यवस्था के साथ जुड़ाव और नवउदारवाद की राजनीति और उनके एजेंटों के बीच संबंध खोजने में सक्षम बनाया जा सके और मानव जाति के दुश्मनों में पहचाना और लक्षित किया जा सके।

संघर्ष जारी रहना चाहिए क्योंकि • यह संघर्ष, कॉरपोरेट–भूस्वामियों के गठबंधन के लाभ के लिए, जनता और देश के संसाधनों की लूटपाट करने, मेहनतकशों से विरोध एवं असहमति जताने के उनके अधिकार छीनकर उन पर दासता की शर्तें थोपने की वर्तमान मोदी सरकार की नवउदारवादी परियोजना के विरुद्ध है। और साथ ही साथ जनता के असली मुद्दों से उनका ध्यान हटाकर, उनके संयुक्त संघर्षों में बिखराव पैदा करने के वास्ते, समाज को टटपुंजिया एवं जहरीले षडयंत्रों में उलझाकर, जनता की एकता को तोड़ने के लिए, साम्प्रदायिकता, जातिवाद एवं विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीयतावाद के आधार पर विभाजित करने की साजिशों के खिलाफ है।

इसलिए, • मेहनतकशों की एकता पर सत्तारूढ़ राजनीति के नियोजित जहरीले एवं विभाजनकारी हमले के खिलाफ संघर्ष के लिए, हमारे अधिकारों और आजीविका पर हमले का विरोध करने के लिए, देश के संसाधनों को लूट–खसोट से बचाने के लिए, नवउदारवाद के शोषणकारी हमले के खिलाफ, मेहनतकशों एकता की रक्षा और विस्तार के लिए संघर्ष, शोषणकारी शासन व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में चल रही हमारी संघर्ष यात्रा में व्यवधान पैदा करने वाली सांप्रदायिक/विभाजक ध्रुवीकरण के इरादों को निर्णायक रूप से पराजित करना आदि हमारे संघर्ष का अभिन्न अंग है।

हमारी तैयारी का अभियान • नवउदारवादी पूंजीवाद की राजनीति, जो दमनकारी, सत्तावादी के साथ ही साथ जहरीली, विघटनकारी और विभाजक है को व्यापक जनता में पूरी तरह से उजागर करने के उद्देश्य से चलाया जाना चाहिए।

जैसा कि नवउदारवादी व्यवस्था का संकट हर दिन गहरा रहा है और जनता में बड़े पैमाने बढ़ता गुस्सा, विभिन्न मसलों पर जनता को राहत देने की उनकी तथाकथित सफलताओं के बारे में सत्ताधारी गलतफहमी फैलाने के अभियान को चलाने का सर्वश्रेष्ठ तौर तरीका अपना रहे हैं। वास्तव में तो गलतफहमी शब्द भी बहुत छोटा ही है, यह एक झूठ अभियान है जिसे कॉरपोरेट संचालित मीडिया की सहायता से सच्चाई के रूप में पेश किया गया है। यह इतना बेईमानी भरा है कि यह कार्ल मार्क्स के दौर के मजदूर वर्ग के एक नेता, टी.जे. डनिंग की प्रसिद्ध कहानियों को दोबारा याद दिलाता है, जो अभी भी प्रासंगिक है जिसका जिक्र 150 साल पहले मार्क्स ने अपने दास कैपिटल के खंड–1 में किया था। किसी भी कीमत पर

किसी भी हालत में मुनाफा बटोरने की हवस पूंजीवादी व्यवस्था में अनैतिकता और हताशा अंतर्निहित है। इसका संकट जितना vf/kd gks, ,sh cs&Zkuh vkSj grk'kk mruh gh vf/kd vkØked gksxk tks fgaSk t SSk fd Vhat sMfuaa usd gk fd "पर्याप्त लाभ ds lkFkk i/ohcgq fuyZ/t gSA fuf'pr 10% के लिए यह कहीं भी जाना सुनिष्चित करेगी .. ..सकारात्मक 50% के लिए दुस्साहस; 100% इसे सभी मानव कानूनों को रौंदने के लिए तैयार कर देगा; 300% के लिए कोई भी अपराध करने में नहीं हिचकेगी, कोई जोखिम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि अपने मालिक को भी फाँसी पर लटकाने को तैयार हो सकती है। यदि अशांति और कलह से लाभ हो, तो यह खुलकर दोनों को प्रोत्साहित करेगी।"

हम मुख्यधारा के मीडिया के सक्रिय समर्थन के साथ शासन के सर्वोच्च पदासीनों द्वारा प्रचारित **इस तरह के अनैतिक कपट के कुछ उदाहरण लें। • सबसे पहले, रोजगार सृजनः** मोदी शासन के पिछले चार वर्षों के दौरान नवउदारवाद की आक्रामकता का सबसे बड़ा शिकार बन गया है; यह नकारात्मक दिशा में ही गया है। निर्माण, आईटी, कपड़ा आदि सहित आठ सबसे श्रम गहन क्षेत्रों में रोजगार सृजन के बारे में श्रम मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार 2014–15 से 2016–17 के दौरान रोजगार सृजन लगभग 5.5 लाख था; यदि इस आंकड़े को, इसी अवधि के दौरान उद्योगों को बंद होने और बंदी के कारण नौकरी के खत्म होने के साथ मिलाकर देखा जाए, तो कुल गैर–कृषि रोजगार में पूर्णतया गिरावट दिखाई देती है। आई.एल.ओ.–आर.बी.आई. के आंकड़ों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के 27 क्षेत्रों में से, प्राथमिक और विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार, जो इन 27 क्षेत्रों में से आधे से ज्यादा शामिल हैं में, वास्तव में मोदी शासन के पहले दो वर्षों के दौरान गिरावट आई है जबकि निर्माण, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाओं जो अधिकांशतः अनौपचारिक है में कुछ मामूली सी वृद्धि दर्ज हुई है। इस गंभीर परिस्थिति में भी, प्रधान मंत्री समेत मंत्रियों ने पिछले दो वर्षों के दौरान भारी रोजगार सृजन के बारे में काफी शोर मचाया है, जो पूरी तरह सफेद झूठ हैं। प्रधान मंत्री ने स्वराज पत्रिका में अपने साक्षात्कार में सितंबर 2017 और अप्रैल 2018 के बीच औपचारिक क्षेत्र में 41 लाख रोजगार सृजन के बारे में बताया है। वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण (2018–19) में पिछले वर्ष 2017–18 के दौरान 70 लाख रोजगार सृजन का दावा किया। श्रम मंत्रालय ने नए रोजगार के लिए भविष्य निधि में नियोक्ता योगदान का भुगतान भारत सरकार द्वारा करने की परिकल्पना के साथ, प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्सहन योजना (पी.एम.आर.पी.वाई.) में किए गए व्यय के अनुसार 21 लाख नई रोजगार सृजन के रूप में दावा किया। क्या इन व्यापक रूप से अलग–अलग आंकड़ों का कोई मेल है, जो कि एक ही सरकार के विभिन्न मंत्रियों द्वारा 41 लाख, 70 लाख, 21 लाख इत्यादि बताया गया है, जो उल्टा ही हो सकता है, जबकि सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक आँकड़े तीन वर्षों में 5.5 लाख ही है। वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सुविधानुसार विभिन्न अवसरों पर सरकार द्वारा प्रचारित विशुद्ध झूठ बोल रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। इससे बड़ी और क्या धोखाधड़ी हो सकती है?

• दूसरा उदाहरण स्वास्थ्य देखभाल का है। बजट भाषण ने चिकित्सा बीमा रास्ते से 10 लाख परिवारों के अस्पताल में इलाज के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये प्रति परिवार की एक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल योजना की घोषणा की। इसे मोदी–केयर के तौर पर लोकप्रिय बनाया जा रहा है और आयुष्मान भारत योजना के तौर पर नामित किया जा रहा है। योजना अभी तक शुरू नहीं हुई है और यहाँ तक कि बजट में कोई भी उपयुक्त संज्ञेय राशि मंजूर नहीं की है; लेकिन सार्वजनिक धन मीडिया खर्च से मुख्यधारा के मीडिया द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से और पूरक अभियान के द्वारा जोर–शोर से चल रहा है। आखिरकार, आगामी संसदीय चुनाव से पहले आयुष्मान भारत योजना कोई रुप नहीं ले सकती है। लेकिन मोदी सरकार और उसके फायदा लेने वाले जो पहले से ही चुनावी अन्दाज में हैं, इस योजना को एक उपलब्धि के तौर पर जोर–शोर से पेश कर रहे हैं, हालांकि अभी तक इस योजना का कोई एक भी लाभार्थी नहीं है। लेकिन यदि यह योजना शुरु भी हो जाती है, तो वास्तव में जनता के लिए इसका क्या अर्थ होगा? इसका मतलब यह होगा कि सरकारी खजाने से बीमा कंपनियों को पैसा चला जाएगा, ज्यादातर स्वास्थ्य देखभाल योजना के निजी और प्राथमिक रूप से प्राथमिक और सहायक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला और राज्य स्तरीय अस्पतालों सहित सरकारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली धीरे–धीरे समाप्त हो जाएगी या पीपीपी के माध्यम से निजी हाथों को सौंप दिया जाएगा। दूसरी ओर यह निजी बीमा कंपनियों के लिए बड़ा व्यापारिक सौभाग्य होगा जो उनकी पिछली कारगुजारियों से पता चलता है। प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना की घोशणा के बाद, निजी बीमा कंपनियों ने सरकारी खजाने से एक वर्श के अंदर 21500 करोड़ रुपये प्रीमियम के

फसल बीमा योजना की घोषणा के बाद, निजी कंपनियों ने सरकारी खजाने से एक वर्ष के अंदर 21,500 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में एकत्रित किया लेकिन प्रभावित किसानों के बीमा दावों के निपटारे में केवल 4270.55 करोड़ रुपये का भुगतान ही किया, जो कुल प्रीमियम का 20% से भी कम है अर्थात् बीमा कंपनियों ने कुल प्रीमियम के 80% से अधिक की कमाई केवल एक वर्ष में फसल बीमा के नाम पर कर ली। मोदी सरकार द्वारा नियोजित बीमा आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के मामले में भी परिणाम वास्तव में फसल बीमा जैसे होने निश्चित हैं। विदेशी संस्थाओं सहित बड़ी निजी बीमा कम्पनियों के लिए आसानी से भारी मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए जनता के साथ यह एक और बड़ी धोखाधड़ी है।

मोदी सरकार द्वारा जनता के साथ हो रही **इस तरह की धोखाधड़ी और धूर्तता के कई ऐसे उदाहरण** हैं, लेकिन इस तरह की धोखाधड़ी की ताजा मिसाल है किसानों के लिए खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में तथाकथित वृद्धि जिसे सरकार किसानों के लाभ के लिए ऐतिहासिक निर्णय बता रही है और मुख्यधारा के मीडिया में व्यापक प्रचार कर रही है। लेकिन हकीकत में यह किसानों के साथ एक ऐतिहासिक विश्वासघात है और कृषक आबादी के साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी एवं धूर्तता है। अपने शासन के चार वर्षों के बाद मोदी सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी के तथाकथित वृद्धि की घोषणा की, जिसके लिए भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में अपनी प्रतिबद्धता और वित्त मंत्री के अंतिम बजट भाषण में इस सम्बन्ध में दिए आश्वासन को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। हकीकत में सरकार द्वारा घोषित एमएसपी अधिकांश खरीफ फसलों के लिए वास्तव में वर्ष 2013 में घोषित एमएसपी की तुलना में, लागत सामग्रियों की कीमतों में भारी बढ़ोरी के मद्देनजर गिरावट को दर्शाता है। इसके अलावा ykxr l kefxzkadh dher kaesafujaj of) vkSfi Nyspkj o"kkZd snkSku bZku ykxr] ;gkr d कि बढ़ी हुई एमएसपी खरीफ फसलों के उत्पादन की वर्तमान लागत से काफी कम होगी, जिससे किसानों को रु० 500–रु० 1825.50 प्रति क्विंटल तक का नुकसान बना रखेगा। और फिर भी वर्तमान सरकार एमएसपी वृद्धि की अपनी घोषणा को किसानों के लिए एक बड़ा छप्परफाड़ मुनाफे के तौर पर पेश कर रही है।

जनता के बड़े बहुमत के साथ सरकार द्वारा प्रायोजित ऐसी धोखाधड़ी मोदी सरकार की विशेषता बन गयी है। इतना ही नहीं, इस तरह की धोखाधड़ी और धूर्तता की कोशिशें भी बहुत शोर शराबे के साथ की जा रही हैं, जबकि चल क्या रहा है, जनता की उत्पादक गतिविधियों और उस पर आयद अप्रत्यक्ष करों के बोझ के माध्यम से बने राष्ट्रीय खजाने से, कॉरपोरेट भूस्वामी लॉबी को, भारी सब्सिडी (छूटें) देने की संदिग्ध कारगुजारी की जा रही हैं। और कॉरपोरेटस् को भारी टैक्स छूटों के साथ ही साथ भुगतान न किए गए प्रत्यक्ष करों का बढ़ता संचय आदि के माध्यम से इस तरह का सब्सिडीकरण, रोजगार सृजन के बहाने से भविष्य निधि में नियोक्ता के योगदान का भुगतान करके, अप्रेन्टिस, ठेकेदारी और सावधि रोजगार (फिक्स टर्म एम्पलॉयमैन्ट) के माध्यम से रोजगार संबंधों के बड़े पैमाने पर अस्थायीकरण को बढ़ावा देना, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के नाम पर निजी बीमा कम्पनियों के कारोबार को बढ़ावा देना, रेलवे समेत सभी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के निजीकरण को बढ़ावा देना और कई अन्य संदिग्ध तौर तरीकों से समूची जनता और देष की अर्थव्यवस्था को संकट की ओर धकेला जा रहा है। और यह पूरी प्रक्रिया, नवउदारवादी प्रारूप के तहत पूंजीवादी वर्ग मौजूदा संकट के तहत जनता और देश के साथ अपराध करने की बेताबी का खुलासा करती है; ''कोई अपराध नहीं है, कहने में वे संकोच करेंगे या परेशान होंगे'' और यह वर्तमान सरकार की राजनीति और जिस प्रणाली में वे फल–फूल रहे हैं, का असली चेहरा है।

आने वाला संघर्ष पहली बार मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों का संयुक्त और संगठित देशव्यापी आंदोलन और कार्रवाई है जो आने वाले दिनों में, सत्तारूढ़ राजनीति और जनता के साथ ही साथ पूरे देश के खिलाफ उसकी आपराधिक नीतियों के खिलाफ, और जनता एवं देश की रक्षा के लिए बड़े जुझारु संघर्ष का रास्ता तय करेगी।

धोखाधड़ी, धूर्तता और आपराधिकता नहीं चलेगी!

5 सितम्बर की मजदूर–किसान संघर्ष रैली का वर्गीय दृष्टिकोण

स्वदेश देवराय
सचिव, सीटू

5 सितम्बर, 2018 को नई दिल्ली में होने जा रही मजदूर किसान संघर्ष रैली सीटू के संविधान में तथा ट्रेड यूनियन मोर्चे का कार्य व 1993 में भुवनेश्वर में पारित तथा सीटू की पुरी कॉन्फ्रेन्स के फैसले के अनुरुप एक विस्तृत प्रक्रिया के बाद इस वर्ष अद्यतन किये गये संगठनात्मक दस्तावेज में समझाये गये लक्ष्यों, उद्देश्यों व संगठनात्मक रास्ते के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

देश के मजदूर वर्ग के संयुक्त संघर्ष में सीटू के सबसे बेहतर योगदान के लिए तथा मेहनतकशों की सम्पूर्ण मुक्ति के अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए सीटू को मजबूत करने के लिए ऐसे संयुक्त संघर्षों से इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए सीटू यूनियनों के द्वारा स्वतंत्र गतिविधियाँ व कार्रवाईयां आवश्यक हैं। हमें, संयुक्त संघर्षों के बारे में हमेशा सीटू के दृष्टिकोण को याद रखना चाहिये। संयुक्त मोर्चे और संयुक्त संघर्षों की सफलता को संघर्ष के कार्यक्रमों के अमल की सफलता के संदर्भ में ही नहीं मापा जाना चाहिये। ऐसे प्रत्येक संघर्ष के बाद हमें अवश्य ही यह आकलन करना चाहिये कि ऐसे संघर्षों के परिणमस्वरुप हमने संगठनात्मक रुप से कितनी प्रगति की। 5 सितम्बर की संघर्ष रैली को भी सीटू के इस संगठनात्मक दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिये।

यह सीटू का सुपरिभाषित व जांचा परखा संगठनात्मक सिद्धान्त है कि संयुक्त मोर्चे की कार्यनीति तब तक सफल नहीं होती जब तक कि इसके लिए काम करने वाले संगठन की जनता के प्रति दृष्टि अपने स्वतंत्र काम को बढ़ाने वाली न हो। इस काम की उपेक्षा का परिणाम दूसरों का पिछलग्गू बन जाने और एकता के लिए संघर्ष को नुकसान के रुप में होता है। सीटू के लिए, एकता के नाम पर अपनी स्वतंत्र गतिविधियों को भूल जाना या उन्हें कम अथवा धीमा करना आत्मघाती होगा। (ट्रेड यूनियन मोर्चे पर हमारा काम)

लक्ष्यः समाजवाद; रास्ताः वर्ग संघर्ष

मजदूर वर्ग के आखिरी लक्ष्य के बारे में सीटू के संविधान में दर्ज लक्ष्यों व उद्देश्यों में साफ तौर पर घोषित किया गया है कि ''सीटू का मानना है कि मजदूर वर्ग के शोषण का अंत केवल उत्पादन, वितरण, तथा विनिमय के सभी साधनों के समाजीकरण तथा एक समाजवादी राज्य की स्थापना करके ही किया जा सकता है। समाजवाद के आदर्श को सर्वोपरि रख सीटू, हर प्रकार के शोषण से समाज की मुक्ति का हामी है ...'' (धारा 3 (ए))

वर्ग संघर्ष के साथ इसकी प्रतिबद्धता के बारे में सीटू के संविधान में कहा गया है : ''यह अपनी इस राय के साथ मजबूती से खड़ा है कि बिना वर्ग संघर्षों के कोई भी सामाजिक बदलाव नहीं लाया जा सकता है और यह मजदूर वर्ग को वर्ग सहयोग की दिशा में ले जाने के प्रयासों को बराबर खारिज करता रहेगा...।'' (धारा 3 (डी) 9)

ट्रेड यूनियन एकता का संघर्ष,वर्ग संघर्ष को तेज करने व वर्गीय चेतना को गहन बनाने का औजार है। यह वर्ग संघर्ष के बिन्दु तक अधिक से अधिक जनता को ले आने का और वर्ग सहयोग की लाईन को खारिज करने का औजार है। यह मजदूर आंदोलन के भीतर मौजूदा ताकतों के संतुलन–क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन लाईन और मौजूदा व्यवस्था के दायरे में ही आंदनोलन की पक्षधर लाईन के बीच के संतुलन को बदलने का औजार है।

संगठन पर अद्यतन दस्तावेज

ऊपर से नीचे तक सीटू के नेताओं,कैडरों व कार्यकर्ताओं सदस्यों को अवश्य ही सचेतन रुप से संगठन पर अद्यतन दस्तावेज में दर्ज कार्यों के अमल को और 5 सितम्बर की मजदूर– किसान संघर्ष रैली में मजदूरों की लामबंदी के अभियान को परस्पर जोड़ना चाहिये।

सीटू का ''जिन तक नहीं पहुँचे उन तक पहुँचो और नीतियों के पीछे की राजनीति को बेनकाब करने का उद्घोष एक नई संगठनात्मक रणनीति, कार्यनीति व अमल की माँग करता है। इसके साथ ही कोझिकोड जनरल कौंसिल का सितम्बर की रैली में सीटू द्वारा कम से कम दो लाख मजदूरों की लामबन्दी का आह्वान सामान्य से हटके– विचारधारात्मक प्रतिबद्धता, संगठनात्मक कुशलता व लगन की माँग करता है। इसलिए यह स्पष्ट रुप से समझना जरुरी है कि यह नवीनीकृत संगठनात्मक कार्य सीटू एक फौरी,सामान्य से कहीं बड़े कार्रवाई कार्यक्रम –मजदूर किसान संघर्ष से जुड़ा हुआ है।

वैचारिक समझदारी

संगठनात्मक दस्तावेज में दर्ज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य नेताओं व कैडर की राजनीतिक– विचारधारात्मक शिक्षा का है। वर्तमान में जारी राज्य व जिला स्तरीय संगठनात्मक कार्यशालाओं में जिस एक बिन्दु पर विशेष रुप से चर्चा हो रही है वह संगठनात्मक कार्य का यह बुनियादी विषय है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि बिना समुचित वैचारिक समर्पण विकसित किये हम अपने नेताओं व कैडरों के अंदर जरुरी संगठनात्क कुशलता, लगन व प्रतिबद्धता पैदा नहीं कर सकते हैं।

मजदूर –किसान संघर्ष रैली से इच्छित परिणाम प्राप्त करना सितम्बर के दिल्ली मार्च के लिए मजदूरों की लामबंदी के काम के दौरान हमारे राजनीतिक वैचारिक अभियान पर निर्भर करता है। हमारा अभियान केवल फौरी आर्थिक माँगों पर केन्द्रित न रहकर, मोदी सरकार की जन– विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने और जन हितैषी नीतियों के विकल्प के लिए संघर्ष की तैयारी की दिशा में निर्देशित होना चाहिये।

क्रांतिकारी विचार के प्रभाव को बढ़ाने व गैर–क्राँतिकारी लाइन की अपील को घटाते हुए संगठन को, मजदूर वर्ग के बीच क्रांतिकारी चेतना पैदा करने की दिशा में तेजी से बढ़ाया जाना चाहिये। ऐसा किये बिना संघर्ष कभी वह जमीन तैयार नहीं कर सकेगा जो मजदूर वर्ग को उसका ऐतिहासिक कार्य संपन्न करने के लिए आवश्यक है। ''(ट्रेड यूनियन मोर्चे पर कार्य) ट्रेड यूनियन के कार्य और विचारधारा के बीच के अंतर को 5 सितम्बर की संघर्ष रैली के अभियान में अवश्य ही संबोधित किया जाना चाहिये।

कामरेड ई एम एस ने अपने परचे ''जनता के जनवाद के संघर्ष में सामूहिक सौदेबाजी'' में कहा है कि, ''ट्रेड यूनियनें व अन्य वर्गीय व जन संगठन वर्ग संघर्ष के प्राथमिक हथियार हैं। तथापि, वे वर्ग संघर्ष के अकेले हथियार नहीं हैं, जिसके, वास्तव में तीन चेहरे हैं–आर्थिक–राजनीतिक व सैद्धांतिक।''

ई एम एस आगे कहते हैं, ''आधार आर्थिक संघर्ष है जो संघर्ष का वह शुरुआती रुप है जिसमें वर्ग अपने को खड़ा पाता है। मेहनतकशों के अन्य तबकों के संघर्षरत जन संगठनों के साथ ट्रेड यूनियनें रोजमर्रा की आर्थिक लड़ाई लड़ती हैं, जिसमें कि दो अन्य रुप–राजनैतिक व सैद्धांतिक जुड़ जाते हैं। वर्ग संघर्ष के इन तीनों रुपों में महारत के बाद ही, मजदूर वर्ग, वर्गीय दमन के खिलाफ संघर्ष में पूंजीवाद व उसके सहयोगियों को परास्त करने के लिए मेहनतकशों के अन्य तबकों का नेतृत्व कर सकता है।''

कारण के खिलाफ न लड़कर केवल प्रभाव के खिलाफ लड़ने के खतरे के प्रति मजदूर वर्ग को सचेत करते हुए यह दर्ज किया गया है कि, ''इसके साथ ही और वेतन व्यवस्था में शामिल आम पराधीनता से काफी अलग, मजदूर वर्ग को इन रोजमर्रा के संघर्षों को ही सब कुछ नहीं समझना चाहिये। उन्हें अवश्य ही यह नहीं भूलना चाहिये कि वे केवल प्रभावों के विरुद्ध लड़ रहे है उनके कारणों से नहीं; कि वे नीचे की और तीव्र गति में कुछ व्यवधान तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसकी दिशा नहीं बदल रहे; कि वे दर्दनिवारक लगा रहे हैं बीमारी का ईलाज नहीं कर रहे हैं।'' (कम्युनिष्ट घोषणा पत्र) सीटू का स्वतंत्र कार्यक्रम, आंदोलन व कार्रवाई से जोड़ते हुए राजनैतिक व वैचारिक अभियान व प्रचार को छेड़ने का अवसर प्रदान करता है। 5 सितम्बर की संघर्ष रैली निश्चित ही एक ऐसा अनोखा अवसर है।

नव उदारवाद और भारत में संयुक्त संघर्ष

भारत में नवउदारवाद की नीतियों की शुरुआत से ही इनके विरुद्ध एक जुझारु कार्रवाईयों वाली उत्साहवर्धक संयुक्त लड़ाई देखने में आयी है। अभी तक, इन सबसे लम्बी संयुक्त लड़ाईयों की नींव डालने में वामपंथी ट्रेड यूनियनों विशषेकर सीटू की भूमिका को

सराहा गया है। 1991 से लेकर आज तक ट्रेड यूनियन आंदोलन का इतिहास ट्रेड यूनियन एकता के अनोखे घटकों, 17 देशयापी हड़तालो तथा नई दिल्ली में संसद मार्ग पर तीन दिन (9–11 नवम्बर 2017) के ऐतिहासिक महापड़ाव के लिए हमेशा याद किया जायेगा।

मौजूदा राजनीतिक–आर्थिक परिस्थिति की मजदूरवर्ग के आंदोलन के बरक्स विस्तृत चर्चा संगठन पर अद्यतन दस्तावेज के शीर्षक बदली परिसथिति के तहत की गयी है : संकट का गहराना और मजदूरों, जनता व समाज पर हमलों का तेज होना। मोदी सरकार का काम करने का निरंकुश, सत्तावादी तरीका, नवउदारवाद के हमले का चरम पर होना व फासीवादी साम्प्रदायिकता ने मजदूर वर्ग के सामने एक विशाल चुनौती खड़ी कर दी है। यह मजदूर वर्ग के कही ज्यादा संकल्पबद्ध संयुक्त प्रतिरोध की मांग करती है।

इस परिस्थिति में सीटू के समक्ष संयुक्त संघर्षो को आगे बढाने में प्रभावी योगदान करने के लिए संगठनात्मक क्षमता को पुनः और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य है। यही नही आने वाले दिनों में वर्तमान शासन की और से और अधिक हमले हमले होने है। 5 सितम्बर की मजदूर– किसान संघर्ष रैली के महत्वाकांक्षी स्वंतत्र अभियान व कार्यवाही के समक्ष चुनौतियाँ व पृष्ठभूमि यही है।

पूंजीवाद के व्यवस्थागत संकट के विरूद्ध लड़ाई

संघर्ष रैली के अभियान के दौरान हमारे नेताओं व कैडरों को जनता के सामने अवश्य ही समूची पूंजीवादी दुनिया में जारी व समय के साथ और गंभीर होते तथ्यों पूंजीवाद के व्यवरस्थाजनित संकट के कारण व प्रभावों को जनता के समक्ष रखना होगा।

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किये गये व्यापार युद्ध ने सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चपेट में ले लिया है तथा यह और तेज हो रहा है। निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थायें सबसे बुरी तरह प्रभावित होंगी। इस सिलसिले हमें अवश्य ही याद करना चाहिये कि नवउदारवाद का चैंपियन–अमेरिकी साम्राज्यवाद अब नव–उदारवाद की नीतियों को छोड़ रहा है तथा कथित संरक्षणवाद को गले लगा रहा है। रीगनोमिक्स व बेकर प्लान अब पूंजीवाद को उसी के बनाये संकट से राहत प्रदान करने में सक्षम नही है।

वित्तीय पूंजी द्वारा संचालित भूमंडलीकरण के हमले में मजदूर वर्ग देश–विदेश में बड़े व्यपार की बर्बर मार झेल रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पसंदीदा मंज़िल विकासशील देशों में ट्रेड यूनियनों को तोड़ने और ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों के मामले बढ रहे है। ऐसी स्थिति में एसोशिएशन बनाने की स्वंतत्रा का, सामूहिक सौदे बाजी का और इनके पूरक के रूप में हड़ताल का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है।

तथापि पूंजीवाद के साथ व्यवस्थाजनित संकट के दौरान हमलों के साथ व्यापार युद्ध के फूट पड़ने से मजदूरवर्ग को दुनिया भर मै जीवन व जीविका पर अत्यधिक हमलों का सामना करना पड़ रहा है। वास्तविक वेतन नीचे जा रहा है उत्पाद की कीमत वृद्धि में वेतन का हिस्सा घट रहा है तथा जीवन स्तर नीचे गिर रहा है। सामाजिक सुरक्षा उपायों को तहस–नहस किया जा रहा है। रोजगार की सुरक्षा करने वाले श्रम कानूनों को नियोक्ताओं को मनमानी शक्ति से बदला जा रहा है हटाये जाने पर मुआवजे को कम किया जा रहा है तथा अस्थायी व कैजुअल मजदूरों को रखा जा रहा है। नरेन्द्र मोदीनीत राजग सरकार के तहत भारत में मेंहनतकशों की स्थिति बहुत ही तुच्छ बन गयी है।

ऊपर जिक्र की गयी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति, हमारे संगठन व संघर्ष के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, आईये हम ऊपर से नीचे तक सीटू की पूरी मशीनरी को ऐसे लामबन्द करें कि नई दिल्ली में 5 सितम्बर की मजदूर–किसान संघर्ष रैली एक ऐसी घटना बन जाये जो दिल्ली ने पहले कभी न देखी हो। सितम्बर की इस जुझारु कार्रवाई से सीटू केन्द्र द्वारा मुख्य पुस्तिका, परचों व बातचीत के बिन्दुओं के माध्यम से जारी की गयी प्रचार सामग्री में पेश वैकल्पिक नीतियों के लिए लड़ाई के एक नये युग की शुरुआत हो।

कामकाजी जनता पर 2018 में मोदी सरकार के प्रमुख हमले

t-, l- e t|enkj
उपाध्यक्ष, सीटू

संसद पर 5 सितंबर 2018 को होने वाली, सीटू–ए.आई.के.एस.–ए.आई.ए.डब्ल्यू.यू. की मजदूर–किसान राष्ट्रीय रैली को एक ऐतिहासिक घटना बनाने के लिए सीटू, इसकी इकाइयों, यूनियनों और फैडरेशनों द्वारा भारी देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है। मई में शुरू हुए अभियान की लहरें, और वर्तमान चरण में, निष्कर्ष के दौर में है, जो 5 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में भारी रैली के रुप में देश के लोकतांत्रिक आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। जमीनी स्तर के अभियान और बड़े पैमाने पर रैली के माध्यम से जनता के साथ व्यापक रूप से संपर्क करके, सभी मेहनतकश तबकों के अधिकारों एवं आजीविका और उनकी एकता की रक्षा करने के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये स्पष्ट रूप से अंततः वर्तमान केंद्र सरकार की हार का कारण बनेंगे जो बड़े पैमाने पर लोगों की आजीविका पर हमला कर रही है और जनता की एकता को धोखाधड़ी और ध्यान भटकाकर तोड़ रही है। अगले लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय रह गया है, आरएसएस–बीजेपी नीत मोदी सरकार अपनी पूरी धूर्तता और धोखाधड़ी के साथ, कामकाजी जनता के विभिन्न तबकों की आजीविका पर हमले जारी रखे हुए है, जो इस सरकार की विशिष्ट पहचान है। इस कैलेंडर वर्ष 2018 में मोदी सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख हमले कालक्रमानुसार निम्नलिखित हैं।

निश्चित अवधि का रोजगार (फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट)

1 फरवरी, 2018 को, स्थायी कर्मचारियों को हटाने और सेवानिवृत्ति की आयु तक वार्षिक वृद्धि के साथ वेतन का बोझ और उसके अनुसार, महंगाई भत्ता, मकान किराया, बोनस, ग्रेच्युटी, ईपीएफ इत्यादि के लिए कॉरपोरेटस् को बड़ी रियायत के तौर पर सभी क्षेत्रों में फिक्स्ड टर्म एम्पलॉयमैन्ट के बारे में, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट में रखा कि (1) ईपीएफ और ईएसआई के कानूनी लाभ के साथ, सभी क्षेत्र में 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट' होगा, और इसके लिए (2) सरकार प्रोत्साहन के रूप में 3 साल के लिए, ईपीएफ में प्रबंधन के हिस्से का भुगतान करेगी। इशारा बहुत साफ है कि स्थायी कर्मचारियों को, 3 साल की नियत अवधि के कर्मचारियों द्वारा बदल दिया जाएगा। अपने बजट भाषण में, अरुण जेटली ने इसे 'औपचारिक रोजगार' के निर्माण के रूप में भी बताया। अंततः औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) के केंद्रीय नियमों में संशोधन के द्वारा 16 मार्च, 2018 को 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट' को अधिसूचित किया गया था।

किसानों के साथ फिर से धोखे के साथ विश्वासघात

2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, भाजपा और वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को लागू करने का देश के किसानों से वायदा किया था। लेकिन, कई अन्य वायदों की तरह ही, यह भी एक 'जुमला' ही बन गया है।

2018 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने, स्वामीनाथन समितियों की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी का पहले से ही भुगतान होने की घोषणा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। अब भाजपा सरकार ने फिर से एमएसपी पर एक और भ्रामक घोषणा की। 4 जुलाई 2018 को, वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा बहुत अधिक जोर–शोर से की गई कि यह लागत में 50% जोड़कर है। इसे 'ऐतिहासिक' भी बताया गया। उसी दिन, अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) ने इसकी किसानों के साथ 'ऐतिहासिक विश्वासघात' के रूप में निंदा की।

सरकार ने ए2+एफएल के रूप में लागत की गणना की जहाँ ए2 किसानों द्वारा बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई, किराए पर श्रम, किराए पर मशीनरी आदि जैसे इनपुट के लिए जेब से खर्च करना है और एफएल अवैतनिक पारिवारिक श्रम की लागत के लिए है।

लेकिन स्वामीनाथन समिति ने सी2 के रूप में व्यापक लागत की सिफारिश की जिसमें ए2+एफएल+किराए पर/अपनी जमीन और निश्चित पूँजी पर ब्याज शामिल हैं।

दिलचस्प बात यह है कि माल और सेवाओं के औद्योगिक उत्पादन की लागत में भूमि, श्रम, पँजी और उद्यम शामिल हैं।

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की गणना के मुताबिक सरकार द्वारा घोषित एमएसपी और वास्तविक राशि के बीच बहुत अंतर है यदि यह नीचे दिखाए गए स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर आधारित होता तो दोनों में बहुत अंतर होता।

फसल	ए 2+एफएल प्रति क्विंटल	सी2 प्रति क्विंटल	एमएसपी (2018–19) प्रति क्विंटल	सी2+50%	सी2+50% और एमएसपी में अंतर प्रति क्विंटल
	वर्ष 2018–19 के लिए सीएसीपी लागत				
धान	1166	1560	1750	2340	-590.0
ज्वार हाइब्रिड	1619	2183	2430	3274.5	-844.5
बाजरा	990	1324	1950	1986	-33.0
रागी	1931	2370	2897	3555	-658.0
मक्का	1131	1480	1700	2220	-520.0
अरहर	3432	4981	5675	7471.5	-1796.5
मूंग	4650	6161	6975	9241.5	-2266.5
उड़द	3438	4989	5600	7483.5	-1883.5
मूंगफली	3260	4186	4890	6279	-1389
सूरजमुखी के बीज	3592	4501	5388	6751.5	-1363.5
सोयाबीन	2266	2972	3399	4458	-1059.0
तिल	4166	6053	6249	9079.5	-2830.5
काला तिल	3918	5135	5877	7702.5	-1825.5
कपास	3433	4514	5150	6771	-1621.0

(एआईकेएस के बयान से)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा घोषित बढ़े हुए एमएसपी के आधार पर, किसानों को सभी खरीफ फसलों पर 590 रुपये से 1825.5 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार, किसानों को भारी मुनाफे के बारे में भाजपा सरकार का दावा जनता के साथ कुल मिलाकर धोखाधड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है।

एआईकेएस के बयान में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों के कृषि विभागों द्वारा लागत गणना में भी बड़ी असमानता है। केंद्र द्वारा निर्धारित लागत बहुत ही कम है। दोनों ही किसानों की वास्तविक लागत से कम ही हैं। राज्य सरकारों द्वारा उनकी लागत गणना के आधार पर सिफारिश की गयी एमएसपी, केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमएसपी की तुलना में काफी अधिक है।

एआईकेएस ने यह भी बताया कि सरकार ने खरीद सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। पूरे देश में सुनिश्चित खरीद के बिना, एमएसपी के बारे में ऐसी कोई घोषणा केवल दिखावा ही है। सार्वजनिक खरीद केवल धान और गेहूँ जैसी कुछ फसलों के लिए हो रही है। यहाँ तक कि यह भी कुल उत्पादन का 20% से कम ही है। अधिकांशतः अन्य फसलों की ज्यादातर राज्यों में कोई खरीददारी नहीं है।

खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने का मोदी सरकार का लम्बा–चौड़ा दावा जनता के साथ ठगी और धोखाधड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है।

रोजगार सृजन में धोखाधड़ी और बढ़ती बेरोजगारी का अद्वितीय स्तर

1 फरवरी, 2018 के बाद से, मोदी सरकार ने 'रोजगार सृजन' पर वास्तविकताओं को छिपाना शुरू कर दिया और 'नौकरी खोने' और 'बेरोजगारी' के आँकड़े इकट्ठे करना बंद कर दिया।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत लेबर ब्यूरो ने 2016 में अंतिम सर्वेक्षण के बाद वार्षिक रोजगार–बेरोजगारी सर्वेक्षण बंद कर दिया है क्योंकि इसने रोजगार सृजन में मोदी सरकार की विफलता और बेरोजगारी के परेशान करने वाले आंकड़ों का खुलासा

हुआ था। 6 मार्च, 2018 को समाचार पत्र 'डीएनए' ने बताया है कि ''अधिक रोजगार सृजन के स्थान पर, सरकार ने इसके बाद वार्षिक रोजगार–बेरोजगारी सर्वेक्षण ही बंद कर दिया।''

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा द्वारा शुरू और नीति आयोग की मदद से, 1 फरवरी 2018 के बाद से मोदी सरकार ने ईपीएफओ के नए जोड़े गए खातों के आधार पर रोजगार सृजन का दावा करना शुरू कर दिया और बताया कि ये 'औपचारिक नौकरियां' हैं, जैसा कि अरुण जेटली के 2018 के बजट भाषण में बताया गया है।

नए ईपीएफओ खाते 'औपचारिक क्षेत्र' में खातों की संख्या में नए जोड़ को दर्शाते हैं, न कि 'औपचारिक' या नियमित नौकरियों को। इनमें ठेका मजदूरों के बड़ी संख्या में खाते शामिल हैं।

फिर नए ईपीएफओ खातों की कुल संख्या विषेश रूप से आईटी और आईआरईएस क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में उन्ही नौकरियों में उँची घिसाव दर को ही दर्शाती है।

सरकार ने मजदूर हितैषी ईडीएलआई योजना को खारिज किया

एक वर्ष से अधिक की देरी करके 26 जून, 2018 को, केंद्रीय श्रम मंत्री ने ईपीएफओ की त्रिपक्षीय सीबीटी बैठक में सूचित किया कि केंद्रीय कानून और वित्त मंत्रालयों ने एक तरफा तौर पर, केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में सीबीटी की सर्वसम्मति से सिफारिश को खारिज कर दिया है। जिसके तहत सेवा के दौरान मौत हो जाने पर, ईडीएलआई योजना कर्मचारी को 2.50 लाख रुपये का न्यूनतम लाभ सुनिश्चित करती है; और योगदानकर्ता की सेवा के 20 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होने पर रु० 30, 000–50, 000 का एक वर्गीकृत लॉयल्टी–जीवन लाभ देय होता है। दोनों लाभ ईपीएफओ द्वारा स्व–वित्त पोषित हैं।

भाजपा शासित राज्यों में भीड़ द्वारा अल्पसंख्यकों की हत्यायें जारी

भीड़ द्वारा पीट–पीट कर हत्या किये जाने को रोकने के लिए सभी कदम उठाने, दोषियों को सज़ा देने तथा भीड़ द्वारा हत्याओं के विरूद्ध संसद द्वारा विशेष कानून बनाये जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूदः देश के अलग–अलग हिस्सों में संघ से जुड़े गिरोहों के द्वारा अल्पसंख्यकों व अन्य की हत्या किया जाना जारी है। सबसे ताजा मामला हरियाणा के ही एक और गरीब दुग्ध उत्पादक किसान अकबर का है जिसकी 20 जुलाई 2018 शुक्रवार को राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ पुलिस थाने के अंर्तगत ललंवड़ी में बर्बर तरीके से हत्या कर दी गयी।

अलवर, राजस्थान की वसुंधरा सरकार के तहत साम्प्रदायिक ताकतों द्वारा भीड़ हत्या करने की जगह बन गया है। पहलुखान व उमरखान के बाद दुग्ध उत्पादक अल्पसंख्यक किसान की गौ रक्षा की आड़ में की गयी यह तीसरी हत्या है। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्ना मोल्ला ने एक बयान में कहा कि ऐसा उसी देश में संभव है जहाँ जानवर के नाम पर मनुष्यों की हत्या की जा रही है। अल्पसंख्यकों व दलितों के विरूद्ध लगातार चलाये जा रहे घृणा अभियान के कारण आर.एस.एस. के अलग–अलग संगठन ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिसमें भाजपा शासित राज्यों में लगातार ऐसे बर्बर अपराध किये जा रहे है। हत्यारों को सज़ा नहीं दी जा रही बल्कि झारखंड में तो उन्हें भाजपा मंत्री द्वारा माला पहनायी जा रही हैः और इन अपराधियों को ऐसी हत्याओं के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, भाजपा सरकारों का प्रशासन और उसके संगी मानवता के विरूद्व अपराध से बाज नही आ रहे।

किसान सभा नें अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी तथा भविष्य में भीड़ द्वारा हत्याओं को रोकने के लिए त्वरित कारवाई कर कड़ी से कड़ी सजा देने; अकबर के बड़े परिवार के भरण–पोषण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा उसके परिवार को एक करोड़ रूपये का मुआवजा देने; तथा राज्य में ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति न होने देने की माँग की है।

मजदूर–किसान गठबंधन की मजबूती

संम्भावनायें व पहलकदमियाँ

ए आर सिंधू,
सचिव सीटू

सीटू का संविधान कहता है, ''कि सीटू, जमीन के लिए सूदखोरी, किराये व कर के विरुद्ध किसानों व खेतमजदूरों के साथ एकजुटता के रिश्तों को मजबूत करेगा तथा कृषि क्रांति की ताकतों की हर सम्भव मदद करेगा व उच्च वेतन तथा काम के सम्मानजनक हालातों के लिए खेतमजदूरों के संघर्ष का पूरा समर्थन करेगा। सीटू का मानना है कि सामंती भूमि संबंधों का पूरी तरह खात्मा किये बिना और बड़े जमीदारों के एकाधिकार को समाप्त किये बिना मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थितियों में कोई टिकाऊ बदलाव संभव नहीं है।''

कामरेड बी.टी. रणदिवे ने इंगित किया ''किसानों व खेतमजदूरों के आंदोलन का समर्थन करना उनके साथ एकजुटता व सहानुभूति का प्रदर्शन भर नहीं है। यह कृषि क्रांति के लिए एक ताकतवर मजदूर–किसान गठबंधन बनाने की मजदूर वर्ग की कोशिश और खेतमजदूरों की माँगों का समर्थन करने का हिस्सा है। इस गठबंधन के बिना वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता है, बुजुर्वा–भूस्वामी वर्गों को सत्ता से बाहर नहीं किया जा सकता है।'' कामरेड बी टी रणदिवे ने हमें इस कार्य को बार–बार स्मरण कराया था। 1983 में में उन्होंने नोट किया था, ''भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन की एक खतरनाक कमजोरी खेतमजदूरों व किसानों के विशाल तबकों से इसका अलगाव है। एक ऐसे देश में ऐसा होना घातक है जहाँ जनता का बहुमत खेजमजदूरों व किसानों का है।''

इसको और विस्तार से समझाते हुए भुवनेश्वर दस्तावेज इंगित करता है कि ''पूँजीवादी शोषण को खत्म करने की जरुरत और इसके लिए मजदूरों को शिक्षित करने के हमारे प्रयासों को तेज करने का बहुत अधिक महत्व है। इसे हासिल करने और; समूचे मेहनतकशों को प्रभावी रुप से एक साथ लाना होगा। मजदूर वर्ग और सीटू के सामने यह एक भारी चुनौतीपूर्ण कार्य है।

''यह कार्य तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कि मजदूर वर्ग; सबसे अगुआ दस्ता नेतृत्वकारी भूमिका अदा नहीं करता। दुर्भाय से हमने मौजूदा दौर में अपने वर्ग को उसकी इस भूमिका से अवगत नहीं कराया है जो उसके द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह न कर पाने के लिए प्राथमिक रुप से जिम्मेदार है।''

सीटू के 15 वें सम्मेलन ने एक कमीशन पेपर–' एक मजबूत मजदूर –किसान गठबंधन–वक्त की फौरी जरुरत' में इस मुददे पर चर्चा की तथा कमीशन की सिफारिशों को सम्मेलन द्वारा तय कार्य के रुप में स्वीकार किया। पारित किया गया परचा निर्देश करता है '' ग्रामीण संकट, शोषण के स्तर तथा ग्रामीण गरीबों के प्रचंड बहुमत की बहुत ही खराब दशा को ध्यान में रखते हुए, भूस्वामी व ग्रामीण धनाढ़यों के गठबंधन के विरुद्ध लड़ाई सबसे जरुरी फौरी कार्य बन जाता है। ग्रामीण भारत में ट्रेड यूनियन की बढ़ी उपस्थिति तथा ग्रामीण सर्वहारा के बदले चरित्र को देखते हुए, सीटू को इसमें, परोक्ष व अपरोक्ष दोनों स्तर पर एक बहुत ही अहम भूमिका निभानी होगी।

इस वर्ग संघर्ष को विकसित करते हुए, यह आवश्यक है कि हमें जातिगत व लैंगिक अत्याचारों का मुकाबला करना है जो देश के बहुत से हिस्सों में वर्गीय दमन का सबसे ज्यादा दिखायी पड़ने वाला स्वरुप है। यह भी काफी स्वाभाविक है कि शोषित वर्गों की एकता साम्प्रदायिक तत्वों के जैसी सभी विभाजनकारी ताकतों के विरुद्ध लड़ाई पर आधारित होगी।

''सीटू को अवश्य ही खेतमजदूरों व गरीब किसानों के प्रत्येक संघर्ष में समर्थन व एकजुटता कार्रवाई आयोजित करनी चाहिये। एकजुटता केवल प्रेस बयान जारी करना भर नहीं बल्कि समर्थन की कार्रवाईयों –रैलियो, प्रदर्शनों, लामबंदी आदि में मजदूरों को लामबंद करना है, उनके संघर्षों के समर्थन में चंदा जुटाना अभियान संचालित करना आदि, तथा गतिविधियों का हिस्सा बनना भी है। बाढ़ व सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय हमारी यूनियनों को भी राहत गतिविधियों में अवश्य ही उतरना चाहिये।''

सीटू इस दिशा में, विभिन्न स्तरों पर कई पहलकदमियाँ करता रहा है। महाराष्ट्र में किसान लॉग मार्च व राजस्थान में किसानों के संघर्ष सहित विभिन्न राज्यों में किसान संघर्षों का समर्थन, संसाधनों, एकजुटता व संयुक्त कार्रवाईयों व अभियानों आदि से किया जाता रहा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु आदि में सूखा राहत गतिविधियाँ चलायी गयीं।

राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान पर 19 जनवरी, 1982 को स्वतंत्र भारत में पहली बार हुई मजदूर वर्ग की हड़ताल में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश व देश के अन्य भागों से शामिल हुए खेतमजदूरों के शासक वर्गों द्वारा गोली से मार डालने की घटनाओं को स्मरण करते हुए हम 19 जनवरी को मजदूर–किसान एकजुटता दिवस के रुप में मनाते हैं।

5 सितम्बर, 2018 को होने वाली मजदूर –किसान संघर्ष रैली देश में बुनियादी वर्गों की पहली राष्ट्रीय लामबंदी होगी। सीटू जनरल कौंसिल ने इस कार्रवाई को न केवल सीटू की मजबूती व विस्तार के लिए बल्कि ट्रेड यूनियन आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी जैसाकि बीटी आर द्वारा स्पष्ट किया गया, हमारे वर्ग मित्रों गरीब किसानों व खेतमजदूरों के मुददों को संबोधित करने में नेतृत्वकारी भूमिका अदा न करने की कमजोरी को दूर करने के लिए प्रयोग करने का फैसला लिया है।

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाडी वर्कर्स एंड हैल्पर्स (आईफा) इस काम को करने का प्रयास कर रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब आदि में आईफा को संबंधित संगठनों के नेतृत्व के साथ समन्वय कर आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा आशा, मिड–डे मील वर्करों, निर्माण मदूरों, गरीब किसानों, मनरेगा मजदूरों व अन्य को संगठित करने का अनुभव है।

संयुक्त आंध्र प्रदेश में ' समन्वित बाल विकास कार्यक्रम बचाओ' परियोजना के अनुभव ने ऐसे प्रयासों का उदाहरण स्थापित किया है। शुरुआत के लिए, सबसे पहले आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए बेहतर आधारभूत ढाँचे व सुविधाओं के मुददे को ही लिया गया।लाभान्वितों की बैठकें की गयीं, मुददों पर चर्चा हुई तथा योजना बनाई गयी। गाँव वालों के साथ नियमित बातचीत व सम्पर्क के चलते हम इन्य मुददों की पहचान कर पाये, लोगों को समझा पाये तथा संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए पहचाने गये तबकों के संगठनों के साथ समन्वय कर समितियाँ बनाने के काम का नेतृत्व कर पाये।

जनवरी, 2016 में हुए आईफा के 8 वें सम्मेलन ने तय किया था कि उसकी सभी इकाईयाँ, सीटू राज्य समितियों से चर्चा के बाद अन्य संगठनों के साथ समन्वय कर हर राज्य के कम से कम एक ब्लॉक में कम से कम एक और जनसंगठन को संगठित करने की पहलकदमी करेंगी। 2017 में हुई संगठनात्मक वर्कशाप में इस पर अमल की समीक्षा की गयी। देश के विभिन्न भागों से उत्साहवर्धक रिपोर्टें मिली। महाराष्ट्र के जालना में आंगनवाड़ी जिला समिति ने 2 महीने के भीतर 25 गाँवों में मनरेगा मजदूरों को संगठित किया तथा उनके बकाया वेतन का मुददा उठाया।

5 सितम्बर की रैली और उसके अभियान पर भी आईफा की वर्किंग कमेटी ने चर्चा की और तय किया कि आईफा खेतमजदूरों व किसानों के मध्य अभियान चलायेगी। थिरुवनंतपुरम में हुई राष्ट्रीय मध्यावधि समीक्षा बैठक में परचों के माध्यम से अभियान के लक्ष्य निर्धारित किये गये तथा किसानों, खेतमजदूरों, मनरेगा मजदूरों को चिहिंत जगहों में सीटू, किसानसभा व खेतमजदूर यूनियन के साथ समन्वय कर संगठित करने की ठोस योजना बनाई गयी । इन तबकों के बीच उनके मुददों पर 10 लाख परचे बाँटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अभियान के दौरान सम्पर्क बनाये जायेंगे तथा गॉव स्तर पर बैठकें की जायेंगी जिनमें प्रत्येक तबके के संगठनों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रयास किये जायेंगे कि उन्हें 5 सितम्बर की रैली में लामबंद किया जाये और इनका संगठन बनायाा जाये। रैली के बाद समीक्षा कर इन संगठनों को मजबूत करने के लिए कदम उठाये जायेंगे। यदि, समुचित योजना के साथ लागू किया गया तो ग्रामीण मजदूर यूनियनों के लिए यह एक अनुकरणीय मॉडल होगा।

5 सितम्बर की मजदूर–किसान संघर्ष रैली हर तरह से अनोखी व ऐतिहासिक होगी। (बल देने के लिए रेखांकित)

मजदूर-किसान संघर्ष रैली

5 सितम्बर 18 • संसद पर

सीटू-अखिल भारतीय किसान सभा-अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन

उद्योग व क्षेत्र

बैंक

मोदी सरकार डरी, एफ.आर.डी.आई. विधेयक वापस लिया

अंततः मोदी मंत्रिमंडल ने 18 जुलाई, 2018 की अपनी बैठक में क्रूर फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इन्श्योरेंस बिल (एफ.आर.डी.आई.) 2017 (सीटू मजदूर अगस्त, 2017) को वापस लेने का फैसला किया जिसे 11 अगस्त 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं गुजरात के अपने चुनावी भाषणों में बड़ी ताकत से एफ.आर.डी.आई. विधेयक का सार्वजनिक रुप से बचाव किया था। ''वास्तव में, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में एक चुनावी सभा में कहा था कि कॉंग्रेस 'यह झूठ फैला रही है कि एफ.आर.डी.आई. विधेयक से दिवालिया बैंक लोगों की जमा गाढ़ी कमाई को गटक जायेंगें।' क्या आप सोचते हैं कि मैं ऐसा होने दूंगा? उन्होंने पूछा था, ''18 जुलाई, 2018 के इंडियन एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट दी है।

तब भी अगर मोदी सरकार ने विधेयक को वापस लेने का फैसला किया और वह भी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट का इंतजार किये बिना, जिसके पास विधेयक को संदर्भित किया गया था तो इस पीछे मुड़ने का कारण 'जनता का भारी आक्रोश' है, 19 जुलाई को बिजनेस टुडे ने यह टिप्पणी करते हुए जोड़ा, ''मोदी सरकार ने लोगों की भारी नाराजगी के बीच विवादित एफ.आर.डी.आई. विधेयक वापस लिया। ''क्योंकि, पिछले अगस्त में लोकसभा में पेश हुए विधेयक का विपक्ष, बैंक यूनियनों व जनता, सभी की तरफ से इसके 'बेल–इन प्रावधान' को लेकर भारी विरोध हुआ था।

बैंक एम्पलाईज फेडरेशन ऑफ इंडिया (बेफी) ने कहा था कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यू.बी.एफ.यू.) के आह्वान् पर 22 अगस्त, 2011 को बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा देशव्यापी हड़ताल का एक मुद्दा एफ.आर.डी.आई. विधेयक का विरोध भी था। बेफी महासचिव प्रदीप बिस्वास ने कहा कि ''हाल में वर्तमान केन्द्र सरकार की निजीकरण की मुहिम के विरुद्ध अपने स्वतंत्र अभियान के दौरान हम ने विधेयक के अपमानजनक प्रावधानों को स्पष्ट किया था विशेष तौर पर 'बेल–इन' के प्रावधान को, जिसे जमाकर्ताओं के धन की कीमत पर जानबूझकर कर्ज अदा न करने वालों की हिफाजत के लिए लाया गया था।

समूचे मीडिया ने केवल एक ही बिन्दु को उठाया कि विधेयक से 'जमाकर्ता घबराहट में पैसा निकाल लेंगे और इससे लोगों का भरोसा कम होगा। इस डर का कारण विधेयक में विवादस्पद 'बेल–इन' का प्रावधान है जो कहता है कि किसी बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में, जमाकर्ताओं को भी अपने दावों में अनुरुप कमी के तौर पर समाधान के खर्च के एक हिस्से को वहन करना पड़ेगा।''

अब बैंको का पैसा मारने वाले कॉरपोरेटों को एल.आई.सी. के गले डाला जा रहा है

मोदी सरकार ने एल.आई.सी. पर कर्ज में दबे आई.डी.बी.आई. बैंक के 51 प्रतिशत शेयर खरीदने और 13, 000 करोड़ रुपये सरकार को देने का दबाव डाला है, जानबूझकर कर्ज अदा न करने वाले कॉरपोरेटों के विशाल अदा नहीं किये कर्जों और आई.डी.बी.आई. के घाटे को एल.आई.सी. के गले डालने का यह एक बड़ा गोरखधंधा है।

शुरुआत में आर.बी.आई. के सहायक के तौर पर स्थापित आई.डी.बी.आई. को एक विकास बैंक के रुप में सरकार ने ले लिया और बाद में 2003 के एक्ट के द्वारा यह एक कामर्शियल बैंक बन गया। यह डुबाऊ कर्जों के मामले में 55000 हजार करोड़ रुपये के गैर निष्पादित संपत्ति के साथ पहले स्थान पर है और 2018 में ही इसे 8, 238 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अब इस बैंक के बोझ और प्रबंधन को एल आइ सी पर थोप दिया गया है। इसी योजना पर कदम मिलाते हुए बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) ने, बैंकों में एल.आई.सी. को 15 प्रतिशत से ज्यादा शेयर न लेने के अपने ही नियम का उल्लंघन करते हुए उसे आई.डी.बी.आई. के 51 प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी।

एल.आई.सी. कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोशिएसन (ए.आई.आई.ई.ए.) ने 25 जून, 2018 को एल.आई.सी. चेयनमैन को लिखे पत्र में इस कदम पर गहरी चिंता व्यक्त की है और पॉलिसी धारकों के भरोसे व विश्वास का प्रश्न उठाया है।

सीटू ने 1 जुलाई को जारी एक बयान में इस कदम का विरोध किया है जिसने डुबाऊ कर्जों के माध्यम से आई.डी.बी.आई. को भारी घाटे में फसाने वाले कॉरपोरेटों की मदद की है और सरकार स्वयं अपने वित्तीय घाटे को पाटने के लिए एल आइ सी से 13, 000 करोड़ रुपये ऐंठ रही है। एल.आई.सी. एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने 92 प्रतिशत दावों का निपटारा किया है और जिसमें जनता का सर्वाधिक भरोसा है। सरकार का यह कदम मजदूरों, किसानों, मध्यमवर्गीय कर्मचारियों व पेशेवरों जैसे छोटे निवेशकों के एल.आई.सी. में भरोसे को कम करेगा। सीटू के बयान में यह भी कहा गया है कि सरकार का यह कदम निजी बीमा कंपनियों की मदद करने वाला है। सीटू ने फैसले को वापस लिए जाने की माँग की है।

30 जून के एक बयान में सी.पी.आई. (एम) ने भी भाजपा सरकार की निंदा करते हुए कहा है कि यह सरकार सबसे ज्यादा डुबाऊ कर्जों वाले बैंक आइ.डी.बी.आई. को बचाने के लिए एल.आई.सी. को आगे कर रही है; अपने लिए एल.आई.सी. से 13, 000 करोड़ ले रही है और पैसा मार लेने वाले अमीरों को अदायगी से बचाने के लिए नियामक मशीनरी को ध्वस्त कर रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र

विशाखापट्टनम में डी.सी.आई. मजदूरों–अधिकारियों की जीत

सरकार ने डी.सी.आइ. के निजीकरण का कदम वापस लिया

इसी 13 जुलाई को केन्द्रीय जहाजरानी मंत्री ने प्रेस को सूचित किया कि सार्वजनिक क्षेत्र की ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (डी.सी.आई.) की रणनीतिक बिक्री के 1 नम्बर 2017 के मोदी सरकार के फैसले को अब छोड़ दिया गया है। नीति आयोग ने सरकार के हिस्से के समूचे 73.44% शेयरों के विनिवेश के माध्यम से डी.सी.आई. की रणनीतिक बिक्री की सिफारिश की थी। ''कर्मचारियों का लगातार संघर्ष, भाजपानीत राजग गठबंधन से टी.डी.पी. के बाहर जाने से बदली राजनैतिक परिस्थिति तथा अगले वर्ष होने वाले आम चुनावों पर इसके विपरीत असर की आशंका के चलते सरकार ने ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (डी.सी.आई.) का निजीकरण करने का फैसला वापस लिया'', राष्ट्रीय दैनिक द हिन्दू ने 14 जुलाई को प्रकाशित रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया।

डी.सी.आई. के निजीकरण के प्रस्ताव को छोड़ देने की घोषणा से विशाखापट्टनम में निगम के मजदूरों व अधिकारियों व अन्य मजदूरों तथा जनता में खुशी की लहर दौड़ गयी। इस संघर्ष की जीत पर एक रैली निकाली गयी। आखिर केन्द्र सरकार के डी.सी.आई. का निजीकरण करने के इस फैसले के विरोध में आंदोलन करते हुए विशाखापट्टनम में निगम के युवा कर्मचारी एन. वेंकटेश द्वारा 4 दिसम्बर, 2017 को अपनी जीवन लीला समाप्त करने के रुप में किया गया सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं गया।

सरकार द्वारा डी.सी.आई. के निजीकरण का फैसला लेने के समय से ही, अफसरों समेत कर्मचारी तड़ित हड़ताल पर थे, उन्होने विरोध करते हुए 3 दिन की हड़ताल की और लगातार क्रमिक भूख हड़ताल की। उन्हे अन्य मजदूरों व ट्रेड़ यूनियनों का भी समर्थन मिला। सीटू अध्यक्ष हेमलता व महासचिव तपन सेन ने विशाखापट्टनम में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को संबोधित किया। एकजुटता की एक अनोखी अभिव्यक्ति में विशाखापट्टनम के लोगों ने डी.सी.आई. के निजीकरण के खिलाफ किए गए जनमत में 98.8% लोगों ने विरोध में वोट दिया।

सीटू के महासचिव तपन सेन ने जो तब सांसद थे, संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में व्यक्त की गयी इस चिन्ता को कि ''ऐसा लगता है सरकार में बैठे कुछ स्वार्थसिद्धि करने वाले लोगों द्वारा डी.सी.आई. को एक बीमार उपक्रम बना देने के लिए अराजक फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरुप ड्रेजिंग के काम को ऊँची दरों पर निजी कंपनियों द्वारा किया जाएगा।'' (सीटू मजदूर, जनवरी व फरवरी 2017) सामने रखते हुए और डी.सी.आई. की रणनीतिक बिक्री का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। इस मुद्दे पर कर्मचारियों को राजनैतिक दलों का भी व्यापक समर्थन मिला। जनसेना के नेता पवन कल्याण, वाई एस आर काँग्रेस सांसद विजय साई रेड्डी, सी.पी.आई. (एम) के राज्य सचिव पी मधु, सी.पी.आई. राज्य सचिव रामकृष्ण ने आंदोलनकारी कर्मचारियों से मिलकर एकजुटता व्यक्त की। सीटू राज्य अध्यक्ष नरसिंगाराव के नेतृत्व में 7 दिसम्बर को मुख्यमंत्री से मिले प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वेंकटेश के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा तथा मुद्दे को केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार ने डी.सी.आई. के निजीकरण का फैसला लेने से पहले राज्य सरकार से परामर्श तक नहीं किया था। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 7 दिसम्बर को बताया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के तीन प्रमुख पोर्ट – विशाखापट्टनम, पाराद्वीप पोर्ट तथा न्यू मैंगलोर पोर्ट – डी.सी.आई. के शेयर अधिग्रहीत करेंगे।

राज्यों से

कर्नाटक

बी.ई.एल. मजदूरों के चुनावों में सीटू यूनियन की बड़ी जीत

SL NO	UNION'S NAME	TOTAL VOTES POLLED BOOTH NO'S WISE 1	2	3	4	5		TOTAL	%
	TOTAL VOTES POLLED	458	361	299	179	225	17	1539	
1	BEWUF	140	124	84	57	63	7	475	30.86
2	BEMS	30	20	17	14	13	4	98	6.368
3	BEWU	235	190	170	92	131	6	824	53.54
4	BEYKS	53	27	28	16	18	0	142	9.227
	TOTAL	458	361	299	179	225	17	1539	

वार्ताकार ट्रेड़ यूनियन' तय करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के बंगलुरु कॉम्प्लेक्स के मजदूरों ने 23 जून को हुए गुप्त मतदान में, सीटू संबद्ध भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कर्स यूनियन (बी.ई.डब्ल्यू.यू.) को एकमात्र सबसे बड़ी ट्रेड़ यूनियन के तौर पर चुना, जिसमें मजदूरों के कुल 1539 वैध मतों में से 53.54% मिले। चुनाव की भागीदार चार यूनियनों में से, इन्टक से संबद्ध बी.ई.डब्ल्यू.यू.एफ. 30.86% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। एटक से संबद्ध बी.ई.वाई.के.एस. 9.22% वोट हासिल करके तीसरी स्थिति में रही। बी.एम.एस. से संबद्ध बी.ई.एम.एस. केवल 6.36% वोटों के साथ अंतिम स्थिति में रही।

सीटू राज्य कमेटी ने बीईएल के सभी कर्मचारियों को सीटू में अपना विश्वास जाहिर करने के लिए गर्मजोशी से बधाई दी कि उन्होंने इस चुनाव में सीटू में विश्वास व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि बी.ई.डब्ल्यू.यू. प्रबंधन के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा में सभी मजदूरों के हितों की रक्षा करेगी; बीईएल को निजी क्षेत्र का शिकार होने से और केन्द्र की आरएसएस–बीजेपी सरकार और राज्य की जे.डी.(एस)–कांग्रेस सरकार की जन–विरोधी एवं मजदूर–विरोधी नीतियों के हमलों से रक्षा करेगी।

दिल्ली एनसीआर

न्यूनतम वेतन, सुरक्षा और अन्य माँगों के लिए मजदूरों की हड़ताल को मिला जबरदस्त समर्थन

अनुराग सक्सेना

11 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों–सीआईटीयू, एआईटीयूसी, इंटक, एचएमएस, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, यूटीयूसी, एलपीएफ व मैक की दिल्ली इकाई के आह्वान पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गाजियाबाद व नोएडा के लगे हुए इलाकों के औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों की 20 जुलाई 2018 की हड़ताल कामयाब रही। हड़ताल की मुख्य मांगें थी– दिल्ली में अकुशल मजदूरों के लिए घोषित 13896/रू. मासिक न्यूनतम वेतन लागू करना, मौजूदा मंहगाई के स्तर पर न्यूनतम वेतन को 20,000/रू. घोषित करना, पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए एक वेज बोर्ड का गठन करना, कार्यक्षेत्रों पर सुरक्षा के उचित इंतजाम , ठेका कर्मियों को नियमित करना, निर्माण श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन और वेलफेयर सुविधाएं मुहैया कराना, रेहड़ी पटरी खोमचा वालों की बेदखली पर रोक, सभी श्रम संबंधी त्रिपक्षीय कमेटियों का गठन, नगर निगमों तथा सरकारी विभागों में नई भर्तियां, 7वें वेतन आयोग की

सिफारिशों को पूर्ण रूप में लागू करना तथा 'फिक्स टर्म इम्प्लाइमेंट' व केन्द्र सरकार द्वारा लाग गए श्रम कानूनों में बदलावों के खिलाफ।

हड़ताल की पृष्ठभूमि

इन माँगों की व्यापक पृष्ठभूमि है। हालांकि लम्बे संघर्ष के बाद 3 मार्च 2017 को बढ़े हुए न्यूनतम वेतन की घोषणा कर दी गई, पर इन्हें लागू किया जाना अब भी बाकी है। कार्य क्षेत्र में सुरक्षा सुविधाओं के अभाव में अकेले इस साल ही अलग–अलग आग लगने की घटनाओं में 28 मजदूरों की जान जा चुकी है। चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी ने ठेका कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। जब से श्रम विभाग तथा वेलफेयर बोर्ड के अधिकारियों पर दर्ज एक एफआईआर पर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है जिसके बाद 2 माह से निर्माण मजदूरों को मिलने वाली वेलफेयर सुविधाएं व पंजीकरण का कार्य बंद हैं । स्ट्रीट वेंडरों को 'स्मार्ट सिटी' प्रोजेक्ट के नाम पर तथा पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने के मसूबों से बेदखल किया जा रहा है।

हड़ताल की तैयारियाँ व प्रचार

हड़ताल का फैसला केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की 7 मई की बैठक में लिया गया। 2 जून को एआईटीयूसी भवन में एक संयुक्त कन्वेंशन आयोजित की गई। जिसमें सभी सेक्टरों के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने मिलकर 1 लाख हैंडबिल व 7000 पोस्टर छापने का फैसला किया। पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी तथा उत्तरी दिल्ली, गाजियाबाद व नोएडा में इलाका स्तरीय संयुक्त बैठक/कन्वेंशन आयोजित की गई। दिल्ली के 18, गाजियाबद के 5 तथा नोएडा व ग्रेटर नोएडा के 4 औद्योगिक क्षेत्रों में टैम्पो प्रचार चलाया गया। औद्योगिक क्षेत्रों व मजदूर बस्तियों में 200 नुक्कड़ मीटिंगें आयोजित की गई। निर्माण श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों व स्कीम वर्करों के बीच संयुक्त सेक्टोरल हैंडबिल बांटे गए। दिल्ली में सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने भागीदारी की। गाजियाबाद में केवल सीआईटीयू, एटक, एचएमएस, इंटक ने हिस्सेदारी की । नोएडा में सीटू के अलावा बाकी सभी ट्रैड यूनियनों ने हड़ताल से अपने हाथ वापस खींच लिए।

सीटू दिल्ली राज्य कमेटी ने औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूरों की माँगों पर केन्द्रित 12000 पोस्टर, 12000 स्टीकर और न्यूनतम वेतन पर अलग से 20000 हैंडबिल छापकर वितरण किया। लगभग सभी सीटू से सम्बद्ध यूनियनों ने अपनी कार्यकारिणी व जनरल बॉडी बैठकें की। यूनियनों द्वारा अपनी माँगों के साथ हड़ताल का समर्थन करते हुए प्रचार सामग्री छापकर बांटी गई। पूरी दिल्ली में 3 लाख हैंडबिल व 35000 पोस्टर छापे गए। डीएसएमआरओ ने पूरा अभियान बेहद ही नियोजित तरीके से चलाया। इसने 2000 फोल्डर हैंडबिल छापा व दिल्ली के 11 अस्पतालों में बैठकें की। दिल्ली जल बोर्ड, एयरपोर्ट इम्पलाईज यूनियन व परिवहन विभाग के कर्मियों ने हड़ताल के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित किए। मज़दूरों को जागरूक करने के लिए 16 जगहों पर नुक्कड नाटक आयोजित किए गए।

हड़ताल का असर

दिल्ली के 1.5 लाख मजदूरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया। उत्तरी दिल्ली के नरेला, बादली, राजस्थानी उद्योग नगर, वजीरपुर और जी.टी. करनाल रोड औद्योगिक क्षेत्रों में सभी कामकाज पूरी तरह से ठप्प रहे। ऐसा ही असर पश्चिमी दिल्ली के मंगोलपुरी फेस–1, फेस–2, उद्योग नगर, पीरागढ़ी, मायापुरी फेस–1 व 2 तथा नारायणा औद्योगिक क्षेत्र व दक्षिणी दिल्ली के ओखला फेज–1,2,3 में रहा। पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्रों व झिलमिल तथा फ्रेडन्स कालोनी औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल का असर आंशिक रहा। सभी इलाकों में मजदूरों के जुलूस निकले। जिसमें उनका गुस्सा साफ झलक रहा था।1026 सेल्स व मेडिकल रिप्रेजेन्टेटीव भी हड़ताल पर रहे।

पुलिस ने पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में जुलूस निकालते समय कामरेड अनुराग सक्सेना, महासचिव राज्य सीटू समेत 6 कार्यकर्ताओं को और बादली औद्योगिक क्षेत्र में 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर स्थित सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन हड़ताल के चलते पूरी तरह से ठप्प रहा। इंदिरा गांधी अंर्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 200 ठेका कर्मियों ने हड़ताल के समर्थन में महिपालपुर बस अडडे पर धरने का आयोजन किया। दिल्ली जल बोर्ड के 800 कर्मचारियों ने अपने हेडक्वाटर वरूणालय भवन के बाहर संयुक्त धरना–प्रदर्शन

किया। निर्माण श्रमिकों की यूनियनों ने दिल्ली में 16 स्थानों पर धरने का आयोजन किया। दिल्ली सचिवालय तक के केंद्रीय मार्च में मुख्य तौर पर दिल्ली नगर निगम से डोमेस्टिक ब्रीडिंग चैकर्स व सफाई कर्मचारियों, स्ट्रीट वेन्डर्स, घरेलू कामगारों व आँगनवाड़ी कर्मियों की हिस्सेदारी रही। दिल्ली सचिवालय पर हुई जनसभा को सीटू से अनुराग सक्सेना, एटक से विद्यासागर गिरी, इंटक से सत्यव्रत पुनिया, एचएमएस से राजेन्द्र, एआईसीसी टीयू के संतोष राय, यूटीयूसी से नाजिम, एनएमपीएस से सुभाष भटनागर तथा रेहड़ी पटरी से एसएनएस कुशवाह ने सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता एटक के धीरेन्द्र शर्मा ने की।

गाजियाबद के साईट 4 औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल का असर सबसे जबरदस्त रहा। सुबह 6 बजे से ही 8 जगहों पर पिकटिंग शुरू हो गई थी। यहां महिला श्रमिकों ने काम का बहिष्कार करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। आनंद औद्योगिक क्षेत्रों, मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्रों, जी.टी. रोड के दक्षिण तथा डासना मसूरी रोड में काम प्रभावित रहा। पूरे इलाके में 1.9 लाख मजदूरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया।

नोएडा गौतम बुद्ध नगर में 8 जगहों पर पिकटिंग व जुलूस सफलतापूर्वक किए गए। इन जुलूसों में हजारों की संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया। इनमें से एक जुलूस सिटी मजिस्ट्रेट के आफिस पर तो दूसरा सूरजपुर में जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस पर खत्म हुआ जहाँ इसने एक जन सभा की शक्ल ले ली। इन सभाओं को जिले के मजदूर व किसानों नेताओं ने संबोधित किया। मांगपत्र के साथ सिटी मजिस्ट्रेट व जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपे गए। हौजरी कॉम्पलेक्स में 80 फीसदी मजदूर यानि कि 60,000 मजदूर हड़ताल पर रहे। इस पूरे क्षेत्र में कुल मिलाकर 1 लाख मजदूर हड़ताल पर रहे।

10 साल के अंतराल के बाद दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के मजदूरों ने अपनी पहलकदमी पर हड़ताल पर जाने का फैसला लिया।

इस बीच 18 जुलाई 2018 को दिल्ली कांट्रैक्ट लेबर एडवाईजरी बोर्ड ने अपनी बैठक में आउटसोर्सिंग के तहत ठेके पर काम कर रहे सभी कर्मियों को दिल्ली सरकार के पे–रोल पर लाने का फैसला लिया गया। जो कि स्वागतयोग्य कदम है व दिल्ली में ट्रैड यूनियन आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

दिल्ली एनसीआर के ट्रैड यूनियनों के संयुक्त मंच ने दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के मजदूरों को हड़ताल में बढ़चढ़कर हिस्सा लेते हुए इसे कामायाब बनाने के लिए सभी को बधाई दी।

हरियाणा

60,000 सरकारी कर्मचारियों ने एक साथ न्यायिक गिरफ्तारी दी

मीडिया के अनुमान के अनुसार, राज्य सरकार के सभी विभागों के 60,000 से अधिक कर्मचारी; अर्द्ध–सरकारी; सहकारी समितियों; बोर्डों; नगरपालिका निगमों; परिषदों और समितियों; विश्वविद्यालयों और योजनाकर्मियों ने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 28 जून को हरियाणा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर गर्मी और बारिश का सामना करते हुए जुलूस निकालकर प्रदर्शनों का आयोजन किए और बड़े पैमाने पर न्यायिक गिरफ्तारियाँ दी।

'जेल भरो' आंदोलन, पहले आंदोलनों के दौरान हस्ताक्षरित समझौते को लागू करने और निजीकरण की नीति और सार्वजनिक सेवाओं की आउटसोर्सिंग के खिलाफ, राज्य सरकार के विष्वासघात के विरोध में था; और भाजपा राज्य सरकार को पिछले चुनाव घोषणापत्र में किए गए वायदों को याद दिलाने के लिए था।

रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती द्वारा सार्वजनिक सेवाओं के विभागों को मजबूत बनाने की माँग के लिए कर्मचारियों के आंदोलन की निरंतरता में 'जेल भरो' था; निजीकरण, आउटसोर्सिंग और ठेकाकरण की नीतियों को उलटने'के लिए, 31 मई, 2018 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2014 में अधिसूचित नियमितकरण की नीतियों की समाप्ति से प्रभावित मजदूरों की सेवाओं एवं हितों की रक्षा के लिए अध्यादेष लाने; ठेका प्रणाली का उन्मूलन और सभी विभागों में अंशकालिक और ठेका कर्मचारियों का नियमितकरण; पुरानी पेंशन योजना और अनुग्रह योजना की बहाली; पंजाब के बराबर वेतन और पेंशन प्रदान करने के लिए, चुनाव घोषणापत्र के अनुसार जनवरी, 2016 से मकान किराया, चिकित्सा भत्ता और अन्य सभी भत्तों में वृद्धि; बच्चों की शिक्षा भत्ता को

दोगुना करना, न्यूनतम वेतन के रूप में 15,000 रुपये का वादा पूरा करना; वास्तविक खर्चों के आधार पर कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को नकदी रहित चिकित्सा सुविधाएं; न्यूनतम वेतन प्रदान करने के साथ, आंगनवाड़ी, एमडीएम, आशा और गांव के पहरेदारों को सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता प्रदान करना; और आषा, आंगनवाड़ी, एमडीएम और शहरी स्थानीय निकायों और अन्य कर्मचारियों के संगठनों के साथ हस्ताक्षरित समझौते का कार्यान्वयन करने के लिए था।

'जेल भरो' आंदोलन सीटू और इसकी सम्बद्ध यूनियनों आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील मजदूरों और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा समर्थित था, और सभी 22 जिलों में, जेल भरो कार्यक्रम में भी शामिल हुए। महिला कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और आंदोलन की अगुआई की। हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ ने राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अपने राज्यव्यापी आंदोलन को और तेज करने के दृढ़ संकल्प की घोषणा की है। (द्वारा: सुभाष लाम्बा)

आशा मजदूरों का विशाल आंदोलन और विजय

सीटू से सम्बद्ध हरियाणा आशा वर्कर्स यूनियन, और हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ ने, मुख्यमंत्री के गृह नगर करनाल; में 16 जुलाई से राज्य स्तरीय अनिष्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो के अपने सतत आंदोलन में बड़ी सफलता हासिल करके समाप्त कर दिया; 20 जुलाई को जीत समारोह के साथ जब हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी, 2018 को यूनियन और सरकार के बीच पहले के हस्ताक्षरित समझौते को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की गयी।

समझौते की अधिसूचना की माँग के लिए 20,000 आशा मजदूर डेरा डालो आंदोलन में भाग ले रहे थे। डेरा डालो आंदोलनकारियों के महापड़ाव को आशा मजदूरों की राष्ट्रीय नेता रंजना नरूला, सीटू राज्य अध्यक्ष सतबीर सिंह और महासचिव जय भगवान और राज्य नेता बिनोद कुमार; सर्व कर्मचारी संघ के नेता सुभाष लाम्बा; यूनियन के राज्य अध्यक्ष प्रबेश और महासचिव सुरेखा और अन्य ने संबोधित किया था।

आशा मजदूरों को अधिसूचित लाभों में जनवरी, 2018 से प्रभावी निश्चित वेतन के रूप में 4,000 रुपये शामिल हैं; जे.एस.वाई. के तहत सामान्य श्रेणी में रु० 300 प्रति डिलीवरी, और रु० 400 ग्रामीण और रु० 300 षहरी संस्थागत डिलीवरी; टीकाकरण के लिए रु० 250 प्रत्येक; एएनसी के लिए 350, परामर्श के लिए रु० 550; सभी 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगें। आशा वर्कर की मृत्यु के मामले में परिवार को अनुग्रह राशि के रूप में रु० 3 लाख का भुगतान; एम.पी.एच.डब्ल्यू. और स्टाफ नर्स इत्यादि की भर्ती में आशा वर्कर को सेवा भारिता का लाभ दिया जाना चाहिए

इससे पहले, समझौते के कार्यान्वयन के लिए आशा मजदूरों ने 7 जून, 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का सहारा लिया था जिसे 15 जून को सरकार के साथ चर्चा विवरण (मिनिटस्) पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया था। फिर भी, अधिसूचना पहले जारी नहीं की गई थी। (द्वारा: सुरेखा)

पंजाब

आँगनवाड़ी यूनियन का 3 दिन लम्बा मार्च

राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 5000 आँगनवाड़ी कर्मचारियों ने, अपनी कामकाजी वर्दी और सिर पर लाल टोपी और हाथों में लाल झंडे लेकर 28 मई को फतेहगढ़ साहिब शहर से 3 दिन का लम्बा विरोध मार्च शुरू किया। लम्बे मार्च का आयोजन सीटू की आँगनवाड़ी कर्मचारियों की यूनियन, आँगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन (एएमयू) ने किया था और सीटू के आँगनवाड़ी कर्मियों के राष्ट्रीय फेडरेशन ए.आई.एफ.डब्ल्यू.ए.एच. की अध्यक्ष उषा रानी, यूनियन के राज्य अध्यक्ष हरजीत कौर पंजोला, महासचिव सुभाष रानी और यूनियन के सभापति धर्मजीत कौर आदि ने मार्च का नेतृत्व किया। सीटू के राज्य महासचिव रघुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष चंदर शेखर, जतिंदरपाल और अन्य सहित राज्य सीटू के कई नेता भी उनसे जुड गए।

मार्च के दौरान, कई स्थानों पर उनका स्वागत किया गया और पास के कस्बों और गांवों के लोगों द्वारा ताजा भोजन और जलपान मुहैया कराया गया। 15 किलोमीटर की दूरी तय करके यह मार्च 28 मई को गाँव चुन्नी कलाँ पहुंचा। 29 मई को मार्च चुन्नी गाँव

से सुबह 5:30 बजे शुरू हुआ और लगभग 17 किलोमीटर की दूरी तय करके सांय 7 बजे सोहाना गाँव पहुंचा। दूसरे दिन भी मार्च को विभिन्न जन संगठनों और पंचायतों द्वारा भोजन और जलपान प्रदान किया गया।

30 मई को, सुबह 6 बजे चंडीगढ़ के लिए षुरू हुआ, चिलचिलाती धूप में लगभग 9 किमी की दूरी तय करके मार्च पंजाब और चंडीगढ़ की सीमा पर पहुँचा, जहाँ मार्च को सशस्त्र पुलिस के बड़े दस्ते द्वारा बनाए गए विशाल बेरीकेड पर रोक दिया गया। मार्च में भाग लेने वाले अविचलित व दृढ़ प्रतिज्ञ हजारों लोग सड़क पर बैठ गऐ और धरना शुरु कर दिया। जब पंजाब सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो विरोध करने वाले आँगनवाड़ी कर्मचारी तेज धूप में ही सड़क पर लोट गए। उनमें से 30 बेहोश हो गए और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तब विरोध करने वाले आँगनवाड़ी कर्मचारियों ने इसे तोड़ने के लिए बेरीकेड की तरफ बढ़ना षुरू कर दिया। जिला प्रषासन ने मंत्रियों से संपर्क किया। कैबिनेट मंत्री बलबीर सिद्धू ने प्रतिरोध करने वाली यूनियन के नेताओं से मुलाकात की। वह धरना स्थल पर आए और उनकी माँगों पर मुख्यमंत्री और एएमयू नेताओं के बीच एक बैठक तय करने की घोषणा की, यह मार्च इस आश्वासन के साथ समाप्त हुआ।

पश्चिम बंगाल

अकेले पश्चिम बंगाल में ही 4,000 बैंक सुरक्षा गार्डों की छंटनी

एटीएम से सुरक्षा गार्डों को वापस लिया गया

सीटू के महासचिव तपन सेन ने 19 जून के अपने पत्र के द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का ध्यान, 21 सार्वजनिक क्षेत्र और निजी बैंकों द्वारा एटीएम में ठेके के आधार पर भर्ती करीब 4000 सुरक्षा गार्डों को नौकरियों से निकले जाने और पश्चिम बंगाल में एटीएम को बिना सुरक्षा गार्ड रखने, की ओर आकर्षित किया।

तपन सेन का पत्र केंद्रीय वित्त मंत्री को 7 मई को 7 यूनियनों के संयुक्त ज्ञापन के समर्थन में था। इनमें बी.ई.एफ.आई. से संबद्ध बैंक कॉन्ट्रेक्चुअल एण्ड कॉन्ट्रेक्ट यूनियन; बीएमएस संबद्ध पश्चिम बंगाल ठिका मजदूर संघ;सीटू से संबद्ध कोलकाता जिला सिक्यूरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज वर्कमैन यूनियन; एटक से संबद्ध सिक्यूरिटी एण्ड एलाईड वर्कर्स यूनियन वेस्ट बंगाल; इन्टक की पष्चिम बंगाल समिति; ऑल बंगाल कॉन्ट्रेक्ट सिक्यूरिटी वर्कर्स यूनियन और वेस्ट बंगाल बैंकिंग सैक्टर कॉन्ट्रेक्ट सिक्यूरिटी यूनियन शामिल हैं।

इससे पहले, 20 मार्च 2018 को उस समय पर सांसद तपन सेन ने जुलाई–अगस्त, 2017 के दौरान सुरक्षा गार्डों की बड़े पैमाने पर छंटनी करने पर बैंकों के इन ठेका कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय श्रम मंत्री से मुलाकात की; देय वेतन का भुगतान नहीं; 1 जनवरी 2017 को न्यूनतम वेतन भुगतान के बारे में केंद्रीय श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का कार्यान्वयन नहीं। तब से कई बार इन मुद्दों पर और पीड़ितों के मुद्दों पर त्वरित समझौता कराने में केंद्रीय श्रम कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों की विफलताओं और कानून लागू करने का निरीक्षण करने आदि को केंद्रीय श्रम मंत्री के साथ उठाया गया।

4000 सुरक्षा गार्डों की छंटनी का कारण, गार्ड के स्थान पर एटीएम में सीसीटीवी की स्थापना प्रतीत होता हैं। यह किसी भी संभावित धोखाधड़ी या आपराधिक कृत्यों के खिलाफ तीन पालियों में सुरक्षा गार्डों की उचित व्यवस्था करने के, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों और भारत सरकार के दिषा निर्देशों का स्पश्ट उल्लंघन है। यह अनुमान लगाया गया है कि नकद हस्तांतरण कम्पनियाँ और फ्रैंचाइजी कम्पनियाँ, आरबीआई से एटीएम को नकद हस्तांतरण की नौकरियाँ बैंकों से ले रही हैं, और उनके प्रबंधन, सुरक्षा गार्ड के बिना एटीएम रखकर, जनता के साथ भरपूर खतरा पैदा कर रहे हैं।

बेफी और सीटू बैंकों के सभी पीड़ित 4,000 ठेका सुरक्षा गार्डों को बहाल करने; केंद्रीय श्रम मंत्रालय के 19 जनवरी 2017 के परिपत्र के अनुसार बैंकों के ठेका कर्मचारियों को केंद्रीय दर पर न्यूनतम वेतन का भुगतान; 12 घंटे के काम के लिए देय वेतन का भुगतान; ईपीएफ और ईएसआई के योगदान के रूप में कटौती की गई रकम को जमा करना और विफलता के लिए प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कदम; और पष्चिम बंगाल में इन मुद्दों पर केंद्रीय श्रम प्रवर्तन प्राधिकरणों की प्रभावी भूमिका आदि की माँग कर रहे हैं।

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dsn	vi;y 2018	ebZ 2018
vk/k izns'k	xq.Vwj	278	280
	gnjkckn	276	278
	fo'kk[kkiÿkue	280	281
	okjxy	260	261
vle	MeMek fruliqj[k;k	249	250
	xokgkVh	258	259
	ycd flYpj	244	244
	efj;kuh tkjgkV	244	244
	jxkikjk rsti;qj	307	306
fcgkj	eq?kj&tekyiqj	289	290
p.Mhx<	p.Mhx<	312	318
NÿkhlX<	fHkykbZ	264	264
fnYyh	fnYyh	319	319
Xkkvk	xkvk	266	268
Xkstjkr	vgenkckn	270	270
	Hkkouxj	276	279
	jktdkV	258	260
	lwjr	264	265
	oMknjk	261	261
gfj;k.kk	Qjhnkckn	276	275
	;euk uxj	257	256
fgekpy	fgekpy çns'k	269	269
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	282	284
>kj[k.M	ckdkjk	314	314
	fxfjMhg	336	337
	te'kniqj	317	318
	>fj;k	333	338
	dkMek	333	336
	jkph gfV;k	295	297
dukVd	cyxke	288	287
	cxykj	312	312
	gcyh /kkjokM	297	229
	ejdjk	297	229
	eSlwj	301	304
djy	,.kkdye@vyobZ	303	305
	e.MkD;ke	330	332
	fDoyku	289	288
e/; çns'k	Hkkikky	291	289
	fNUnokM	263	264
	bnkj	287	289
	tcyiqj		

jkT;	dsn	vi;y 2018	ebZ 2018
egjk"V	eEcbZ	290	289
	ukxiqj	325	327
	ukfld	303	305
	iq.kk	293	298
	'kkykiqj	294	300
mMhlk	vkxzy&rkypj	302	303
	jkmjdsyk	301	301
ikfMpsfj	ikfMpsfj	307	306
iatkc	verlj	295	296
	tkyU/kj	292	290
	yf/k;kuk	278	278
jktLFkku	vtej	265	264
	HkhyokM	275	274
	t;iqj	275	273
rfeyukMq	pUuS	267	267
	dk;EcVwj	273	274
	dUuwj	293	295
	enqjkbZ	277	279
	lwye	274	278
	fr#fpjkiYyh	284	284
rsyaxkuk	xknkojh[kkuh	293	298
	gnjkckn	249	251
	okjxy	295	298
f=iqjk	f=iqjk	260	264
mÿkj çns'k	vkxjk	317	320
	xkft;kckn	292	290
	dkuiqj	302	301
	y[kuÅ	291	290
	okjk.klh	289	290
if'pe cxky	vklulky	313	313
	nkftfyax	267	265
	nxkiqj	313	315
	gfYn;k	320	320
	gkoM	277	280
	tkyikbxMh	280	281
	dkydkrk	273	275
	jkuhxat	263	264
	flyhxMh	265	264
vf[ky Hkkjrh; lpdkd		287	288

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- एजेंसी – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- भुगतान – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- संपर्कः ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेलः citubtr@gmail.com
  फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

पंजाब में आंगनवाड़ी कर्मियों का लांग मार्च

(रिपोर्ट पृ० 24)

फतेहगढ़ से चंड़ीगढ़ तक लांग मार्च

चंड़ीगढ़ सीमा पर धरना

हरियाणा में आशाकर्मियों का घेरा डालो, डेरा डालो

(रिपोर्ट पृ० 24)

हरियाणा में जेल भरो - 28 जून

(रिपोर्ट पृ० 23)

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-2020 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication - 5/08/2018)

देश का गौरव
ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया

(रिपोर्ट पृ० २०)

(साभार : द हिन्दू)

पहले : विशाखापट्टनम में विरोध प्रदर्शन में शामिल हेमलता व तपन सेन

बाद में : विशाखापट्टनम में विजय जुलूस

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com)

सम्पादक : **के हेमलता**